रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112020-223299
**CG-DL-E-25112020-223299**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 521]** **नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942**
**No. 521]** **NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942**

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

**फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(16)/2020(पी-2748):**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2020 कहा जा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. परिभाषाएँ:**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) **"पहुंच प्रबंधन"** का अर्थ है प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच अनुबंध, जो अनुसूची-। में निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करता है और प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर सीएनजी निकास बिंदु क्षमता तक पहुंच के लिए निबंधन एवं शर्तों को परिभाषित करता है।

(ख) **"अधिनियम"** का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है;

(ग) **"आवंटित क्षमता"** का अर्थ है प्रवेश बिंदु पर एमएमबीटीयू में निर्धारित अधिकतम दैनिक क्षमता जिस पर प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच निकास बिंदु या सीएनजी निकास बिंदु के लिए सहमति हुई हो;

(घ) **"बोर्ड"** का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

(ड.) **"सीएनजी निकास बिंदु"** का अर्थ वह बिंदु है जिस पर प्राधिकृत संस्था द्वारा सीएनजी कंप्रेसर के आउटलेट पर मीटरिंग के लिए उचित व्यवस्था के साथ शिपर को डिलीवरी के लिए सीएनजी कंप्रेसर आउटलेट बिंदु से सीएनजी का उठान किया जाता है:

बशर्ते कि सीएनजी निकास बिंदु ट्यूबिंग कनेक्शन या यूनियन पर समाप्त हो जाएगा जहां कंप्रेसर का निकास डिस्पेंसर से जुड़ा हुआ है और यदि यह नोजल को भरने पर शिपर के सीएनजी कैसकेड से जुड़ा है।

(च) **"सीएनजी निकास बिंदु क्षमता"** का अर्थ है खुली पहुंच के लिए सीएनजी की अधिकतम मात्रा, जिसे प्राधिकृत संस्था एक दिन में संबंधित सीएनजी निकास बिंदु पर शिपर को वितरित करेगी:

(छ) **"सीएनजी निकास बिंदु अधिकतम दैनिक मात्रा या "सीएनजी निकास बिंदु एमडीक्यू"** का अर्थ है किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मापी गई खुली पहुंच के लिए उपलब्ध प्राकृतिक गैस की अधिकतम दैनिक मात्रा जिसके लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा शिपर को क्षमता आवंटित की गई है, जिसका सीएनजी निकास पर शिपर द्वारा उठान किया जा सकता है;

(ज) **"दिन"** का अर्थ है लगातार चौबीस घंटे जो एक दिन में 0600 बजे से शुरू होकर अगले दिन 0600 बजे समाप्त होता है;

(झ) **"विनिर्दिष्ट निकास बिंदु"** का अर्थ है वह निकास बिंदु जिसके लिए तकनीकी और सुरक्षा आधार पर शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच गैस वितरण पर सहमति हुई है;

(ञ) **"डिलीवर की गई मात्रा"** का अर्थ है शिपर के निर्धारित निकास बिंदु पर प्राधिकृत संस्था द्वारा वितरित गैस की मात्रा;

(ट) **"प्रवेश बिंदु"** का अर्थ उस बिंदु से है जिस पर किसी शिपर द्वारा वितरित प्राकृतिक गैस को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में इंजेक्ट किया जाता है:

प्रवेश बिंदु सीजीएस या सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन (एसटीपीएल) या सीजीडी नेटवर्क के किसी अन्य बिंदु पर हो सकता है;

(ठ) **"प्रवेश बिंदु क्षमता"** का अर्थ है खुली पहुंच के लिए उपलब्ध एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा, जिसे प्राधिकृत संस्था एक दिन में संबंधित प्रवेश बिंदु पर शिपर से प्राप्त करेगी ताकि इसे विनिर्दिष्ट निकास बिंदु पर पहुंचाया जा सके;

(ड) "**प्रवेश बिंदु अधिकतम दैनिक मात्रा" या "प्रवेश बिंदु एमडीक्यू"** का अर्थ है प्राकृतिक गैस की अधिकतम दैनिक मात्रा जिसके लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा शिपर को ओपन एक्सेस के आधार पर पहुंच प्रबंध में हुई सहमति के अनुसार संबंधित प्रवेश बिंदु पर क्षमता आवंटित की गई है;

(ढ) **"निकास बिंदु"** का अर्थ उस बिंदु से है जिस पर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क से शिपर द्वारा प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच पहुंच प्रबंध पर हुई सहमति के अनुसार प्राकृतिक गैस का उठान किया जाता है और ऐसे निकास बिंदु शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच तकनीकी और सुरक्षा आधार पर सभी मीटरिंग स्टेशनों, सीएनजी निकास बिंदु और ऐसे सहमत सभी अन्य बिंदुओं पर होंगे:

बशर्ते कि —

(i) घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के लिए, कस्टडी ट्रांसफर के उद्देश्य से निकास बिंदु व्यक्तिगत उपभोक्ता का सुरक्षा होज होगा। निकास बिंदु के क्षमता निर्धारण जैसे अन्य उद्देश्य के लिए, संबंधित डीपीआरएस को निकास बिंदु माना जाएगा।

(ii) किसी भी नए निकास बिंदु का निर्णय तकनीकी और सुरक्षा आधार पर शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच किया जाएगा।

(ण) **"निकास बिंदु क्षमता"** का अर्थ है खुली पहुंच के लिए उपलब्ध एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा, जो प्राधिकृत संस्था एक दिन में संबंधित निकास बिंदु पर शिपर को वितरित करेगी;

(त) **"निकास बिंदु अधिकतम दैनिक मात्रा" या "निकास बिंदु एमडीक्यू"** का अर्थ है खुली पहुंच के आधार पर प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा, जिसका शिपर द्वारा एक दिन में विशिष्ट मीटरिंग स्टेशन और सीएनजी निकास बिंदु पर उठान किया जा सकता है;

(थ) एक दिन में **"असंतुलन मात्रा"** का अर्थ है विनियम 16 में निर्दिष्ट अनुसार सकारात्मक असंतुलन मात्रा या नकारात्मक असंतुलन मात्रा;

(द) **"लाइन पैक" या "एलपी"** गैस का अर्थ है गैस की मात्रा जिसे दबाव बनाए रखने और नेटवर्क के माध्यम से प्राकृतिक गैस का निर्बाध परिवहन और आपूर्ति करने के लिए हर समय नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में बनाए रखा जाना चाहिए;

(ध) **"गैस के लिए लुप्त और बेहिसाब" या "एलयूएजी"** का अर्थ है प्राकृतिक गैस की मात्रा, जो किसी भी कारण से बेहिसाब है, लेकिन नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के नियमित संचालन या रखरखाव के दौरान ब्लो डाउन, निकासी या रिलीज तथा प्रवेश और निकास बिंदु पर मीटर रीडिंग के बेमेल होने तक ही सीमित नहीं है;

(न) **"विपणन"** का अर्थ प्राकृतिक गैस के विपणन या व्यापार से निपटने वाली संस्था है;

(प) **"विपणन विशिष्टता अवधि"** का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के अनुसार सामान्य वाहक या संविदा वाहक के दायरे से विशिष्टता की अवधि है;

(फ) **"अधिकतम दैनिक मात्रा" ("एमडीक्यू")** का अर्थ है किसी विशेष दिन में वितरण के लिए प्राकृतिक गैस, अनुबंधित, बुक की गई अधिकतम मात्रा;

(ब) **"अधिकतम वितरण दर" ("एमडीआर")** का अर्थ है अधिकतम प्रति घंटा दर, जिसके लिए प्राधिकृत संस्था पहुँच व्यवस्था में निर्दिष्ट अनुसार संगत निकास बिंदु पर शिपर को प्राकृतिक गैस वितरित करेगी;

(भ) **"अधिकतम उठान दर" या "एमओआर"** का अर्थ अधिकतम प्रति घंटा दर है, जिसके लिए शिपर पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट अनुसार संबंधित निकास बिंदु पर प्राकृतिक गैस का उठान करेगा और एमओआर का मूल्य एमडीआर के मूल्य के समान होगा;

(म) **"अधिकतम प्राप्ति दर"** या **"एमआरआर"** का अर्थ है अधिकतम प्रति घंटा दर, जिसके लिए प्राधिकृत संस्था पहुँच व्यवस्था में निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रवेश बिंदु पर प्राकृतिक गैस प्राप्त करेगी;

(य) **"एमएमबीटीयू"** का अर्थ है सकल कैलोरी मान (जीसीवी) के आधार पर एक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट और यह आईएसओ 6976 में परिभाषित अनुसार प्राकृतिक गैस की ऊर्जा सामग्री की यूनिट होगी;

(यक) **"विनिर्दिष्ट मात्रा"** का अर्थ प्राकृतिक गैस की मात्रा से है, जिसकी पुष्टि शिपर द्वारा प्राधिकृत संस्था को अधिकृत निकास बिंदु पर डिलीवरी के लिए की जाती है, जिसमें वितरण के लिए या अपने निजी इस्तेमाल के लिए दैनिक आधार पर संगत निकास बिंदु पर उठान का विवरण होता है;

(यख) **"ऑफ-स्पेक गैस"** का अर्थ है प्रवेश द्वार पर शिपर द्वारा या निकास बिंदु पर किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा पहुंचाई गई प्राकृतिक गैस जो विनियम 9 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट गैस मापदंडों के अनुरूप नहीं है;

(यग) **"ऑपरेटिंग प्रेशर"** का अर्थ है एक विशेष प्रवाह दर के अनुसार दबाव, जिस पर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संबंधित खंड को संचालित किया जाता है:

बशर्ते कि किसी भी समय नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग प्रेशर डिजाइन प्रेशर या अधिकतम स्वीकार्य ऑपरेटिंग प्रेशर (एमएओपी) से अधिक न हो जैसा कि प्रासंगिक तकनीकी मानकों और विनिर्देशों में सुरक्षा मानकों के नियमों सहित निर्दिष्ट किया गया है;

(यघ) **"निर्धारित मात्रा"** का अर्थ है प्राकृतिक गैस की मात्रा, जो निर्धारित निकास बिंदु या वितरण के निकास बिंदु या नामित क्षमता पर आधारित निजी आवश्यकता के लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा शिपर के लिए निर्धारित की गई हो और जो पहुंच प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार हो;

(यड.) **"शिपर"** का अर्थ है उपभोक्ता या विक्रेता या कोई अन्य संस्था जो सीजीडी नेटवर्क में क्षमता का उपयोग करने का इरादा रखती है;

(यच) **"मानक घन मीटर" या "एससीएम"** का अर्थ होगा गैस की मात्रा जो एक दशमलव शून्य एक तीन दो पांच बॉर (1.01325 बार) के पूर्ण दबाव के अंतर्गत पंद्रह सेल्सियस (15° सेल्सियस) के तापमान पर एक (1) घन मीटर की मात्रा में रहती है;

(यछ) **"सिस्टम द्वारा प्रयुक्त गैस" या "एसयूजी"** का अर्थ है प्राकृतिक गैस की मात्रा, जिसका उपयोग प्राधिकृत संस्था द्वारा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए किया जाता है, लेकिन यह केवल कंप्रेसर, प्राइम मूवर्स के लिए गैस के सामान्य उपयोग, गैस हीटर और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए वेंटिंग या फ्लेयरिंग तक सीमित नहीं है;

(यज) **"माप यूनिट"** का अर्थ गैस की मात्रा को मापने की यूनिट है। माप की यूनिट मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) में होगी।

बशर्ते कि सीएनजी निकास बिंदु मात्रा को किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मापा जाएगा लेकिन प्राकृतिक गैस मात्रा सामंजस्य के उद्देश्य के लिए इसे एमएमबीटीयू में परिवर्तित किया जाएगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिन्हें अधिनियम या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

**3. अनुप्रयोग:**

ये विनियम किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्राधिकृत संस्था और किसी भी शिपर पर लागू होंगे, जो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के सीजीडी नेटवर्क में क्षमता का उपयोग करने का इरादा रखता है:

बशर्ते कि किसी प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र को पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क घोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2020 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 में सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किया गया हो।

बशर्ते आगे कि—

(क) प्राधिकृत संस्था अधिकृत क्षेत्र में किसी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शिपर्स तक पहुंच की अनुमति देगी;

(ख) आधारभूत ढांचे का विकास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 द्वारा अधिशासित होगा और शिपर उपर्युक्त संस्था के माध्यम से अपनी गैस का परिवहन या डिलीवरी करेंगे —

(i) घरेलू कनेक्शनों के बर्नर से जुड़ी सुरक्षा होज़ तक; या

(ii) वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों के मामले में मीटरिंग बिंदु तक; या

(iii) सीएनजी स्टेशनों के मामले में कंप्रेसर निकास बिंदु तक।

बशर्ते यह भी कि

(i) प्राधिकृत संस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 के अनुरूप हर समय अपनी पूरी परिसंपत्तियों को सुरक्षा होज़ तक बनाए रखेगा; और

(ii) मीटरिंग बिंदु का अर्थ उस स्थान से है जहां गैस की माप की जाती है, जिसमें मीटरिंग उपकरण, उपकरण और निकास बिंदु पर अपेक्षित दबाव तक दबाव को कम करना शामिल होगा।

(iii) कम्प्रेसर निकास बिंदु में फिलिंग नोजल और सीएनजी माप की सुविधा शामिल होगी।

**4. क्षमता घोषणा:**

(1) प्राधिकृत संस्था, अपने सीजीडी नेटवर्क की घोषणा के नब्बे दिनों के भीतर, सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में लागू विनियमों के अनुसार और प्रवेश बिंदु क्षमता, सभी प्रवेश बिंदुओं और निकास बिंदुओं पर खुली पहुंच के लिए सीएनजी निकास बिंदु क्षमता तथा पीएनजी के लिए डीपीआरएस स्तर पर क्षमता और मदर और ऑनलाइन स्टेशनों की क्षमता (कैसकेड फिलिंग क्षमता) का लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सीएनजी के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशन करके घोषणा करेगी।

(2) सभी प्रवेश बिंदुओं पर संचयी आधार पर खुली पहुंच के लिए सीजीडी नेटवर्क की क्षमता, सीजीडी नेटवर्क और संपीड़न क्षमता या गैस की अधिकतम मात्रा का कम से कम बीस प्रतिशत होगी जो पिछले एक दिन की अवधि के लिए सीजीडी नेटवर्क में या कंप्रेसर के माध्यम से प्रवाहित हुई है, जो भी अधिक हो। यदि सीजीडी नेटवर्क में ऐसी खुली पहुंच क्षमता दस प्रतिशत से कम हो जाती है, तो प्राधिकृत संस्था सीजीडी नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाएगी, ताकि खुली पहुंच क्षमता को दस प्रतिशत से नीचे गिरने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कम से कम बीस प्रतिशत तक बहाल किया जा सके।

(3) बोर्ड स्व-प्रेरणा के आधार पर और उप विनियम (2) के प्रावधानों के बावजूद, लेकिन सार्वजनिक परामर्श की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ऐसी अवधि के भीतर सीजीडी नेटवर्क की क्षमता का विस्तार करने के लिए और निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जैसा वह उचित समझे, किसी प्राधिकृत संस्था को आदेश दे सकता है।

(4) कोई प्राधिकृत संस्था अपने सीजीडी नेटवर्क में खुली पहुँच क्षमता का उपयोग, अतिरिक्त क्षमता के ऐसे भाग को छोड़कर, अपनी आवश्यकता के लिए नहीं करेगी, जिसके लिए बुकिंग किसी भी शिपर से नब्बे दिनों की लगातार अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

बशर्ते कि प्राधिकृत संस्था किसी भी शिपर से क्षमता बुकिंग के अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अपनी निजी आवश्यकता द्वारा उपयोग की जा रही सामान्य वाहक क्षमता को खाली कर देगी।

**5. क्षमता बुकिंग:**

(1) प्राधिकृत संस्था, सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में अपने नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा के इक्कीस दिनों के भीतर, अपनी वेबसाइट पर अनुसूची-।। में निर्दिष्ट प्रारूप में जानकारी प्रकाशित करेगी तथा राष्ट्रीय दैनिक और स्थानीय भाषा समाचार-पत्र में ऐसे प्रकाशन की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी जाएगी, जिसमें अपने सीजीडी नेटवर्क पर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु क्षमता के लिए क्षमता बुकिंग की मांग की जाती है और उसके बाद उसके सीजीडी नेटवर्क में जब भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी, उसके इक्कीस दिनों के भीतर इसी तरह की कार्रवाई की जाती है।

(2) इच्छुक शिपर अनुसूची-III में निर्दिष्ट प्रारूप में क्षमता बुकिंग के लिए सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर क्षमता ("एमडीक्यू") की बुकिंग प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत संस्था को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(3) किसी शिपर द्वारा अनुरोध किए गए प्रवेश बिंदु एमडीक्यू का योग प्रतिदिन 500 एमएमबीटीयू से कम नहीं होगा, और किसी भी निकास बिंदु पर उठान प्रति दिन 50 एमएमबीटीयू से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि शिपर और अधिकृत निकाय किसी स्वीकृत अवधि में बुक की गई मात्रा को प्राप्त करने के लिए पहुंच प्रबंधन से सहमत हों।

(4) क्षमता का आबंटन प्राधिकृत संस्था द्वारा पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यदि उपलब्ध सामान्य वाहक क्षमता सभी शिपरों के कुल बुकिंग अनुरोध से अधिक है, तो अनुरोध की गई क्षमता प्रत्येक शिपर को आवंटित की जाएगी। तथापि, उन मामलों में जहां किसी विशेष दिन के लिए कुल बुकिंग अनुरोध सामान्य वाहक क्षमता से अधिक है, तो ऐसी सामान्य वाहक क्षमता शिपरों को प्रवेश बिंदु एमडीक्यू के योग के उत्पाद की उच्चता के आधार पर आवंटित की जाएगी।

(5) उप-विनियम 2 के तहत निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर प्राधिकृत संस्था द्वारा क्षमता बुकिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(6) प्राधिकृत संस्था नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर खुली पहुंच के लिए प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता, डीपीआरएस क्षमता और सीएनजी निकास बिंदु क्षमता के बारे में अपनी वेबसाइट पर अगले माह की प्रत्येक 15 तरीख तक सतत आधार पर जानकारी इस प्रकार से प्रकाशित करेगी कि क्षमता बुकिंग की प्रक्रिया की अनुसूची का उपयोग हर महीने के पहले कार्य दिवस से प्रभावी ढंग से किया जा सके। ऐसे डेटा को बोर्ड द्वारा किसी भी समय या ऐसे अंतराल पर सत्यापित किया जा सकता है जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

(7) पहुंच प्रबंध के माध्यम से प्रवेश बिंदु एमडीक्यू और निकास बिंदु एमडीक्यू और अन्य प्रासंगिक निबंधन एवं शर्तों के संदर्भ में क्षमता बुकिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(8) कोई प्राधिकृत संस्था जिसके सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा के नब्बे दिनों के भीतर सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता की बुकिंग के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल स्थापित करेगी। आवेदनों को प्राप्त करने, आवंटन और रिकार्डो का रखरखाव करने की पूरी प्रक्रिया खुले, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से की जाएगी और इसे किसी भी समय बोर्ड द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे पोर्टल पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रवाह अनुसूची-IV में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी।

(9) संबंधित प्राधिकृत संस्था अपनी वेबसाइट पर क्षमता बुकिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगी और ऐसी क्षमता का आवंटन ऑनलाइन करेगी तथा अनुसूची-V में निर्दिष्ट अनुसार प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेगी तथा अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना भी प्रकाशित करेगी।

**6. तृतीय पक्ष शिपर सीएनजी या एल-सीएनजी स्टेशनों तक पहुंच का प्रावधान:**

कोई प्राधिकृत संस्था जिसके सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक के रूप में घोषित किया गया है, बिना किसी भेदभाव के अपने सीजीडी नेटवर्क के अधिकृत क्षेत्र के भीतर सीएनजी या एल-सीएनजी स्टेशन के लिए तीसरे पक्ष के शिपर तक पहुंच प्रदान करेगा। यदि मौजूदा कंप्रेसर सामान्य वाहक क्षमता की सीमा के भीतर तीसरे पक्ष के शिपर की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऐसे तृतीय पक्ष शिपर तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कंप्रेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए अधिकृत सीजीडी संस्था से अनुरोध कर सकते हैं। यदि प्राधिकृत संस्था तकनीकी बाधाओं के कारण अतिरिक्त कंप्रेशन सुविधाओं को स्थापित करने में असमर्थ है, तो तदनुसार प्राधिकृत सीजीडी संस्था तीसरे पक्ष के शिपर को ऐसे अतिरिक्त कंप्रेसर सुविधाओं के लिए अनुरोध की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित करेगी।

स्पष्टीकरण: अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण के हित में, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि को मौजूद सीएनजी या एल-सीएनजी स्टेशन, जो प्राधिकृत संस्थाओं के डीलरों और फ्रेंचाइजी द्वारा चलाए जा रहे हैं (जिनमें सीएनजी या एल-सीएनजी स्टेशन शामिल हैं, जो तरल पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री में संलग्न कंपनियों द्वारा अपनी खुदरा दुकानों पर चलाए जाते है) को सीएनजी या एलसीएनजी स्टेशनों में प्रवेश की अनुमति देने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष के शिपर के रूप में नहीं माना जाएगा।

**7. शिपर और प्राधिकृत संस्था की बाध्यता:**

(1) प्राधिकृत संस्था गैस प्राप्ति से वितरण बिंदु तक सीजीडी नेटवर्क के लिए सभी लागू नियमों और डिलीवरी बिंदु से गैस की प्राप्ति से समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) प्राधिकृत संस्था सहमत प्रवेश बिंदु पर शिपर से गैस प्राप्त करेगी, उसका सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से परिवहन करेगी और सहमत निकास बिंदु पर गैस वितरित करेगी।

(3) प्राधिकृत संस्था अपने सीजीडी नेटवर्क और उससे संबंधित सेवाओं के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।

(4) प्राधिकृत संस्था किसी भी शिपर द्वारा किसी भी चूक के मामले में घरेलू ग्राहकों के लिए अंतिम उपाय के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

(5) शिपर प्राधिकृत संस्था द्वारा गैस प्राप्ति से पहले और बाद में गैस को शिपर तक पहुंचाने के लिए सीजीडी नेटवर्क के लिए सभी लागू विनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) शिपर प्रवेश बिंदु पर गैस डिलीवर करेगा और सहमत निकास बिंदु पर गैस प्राप्त करेगा।

(7) शिपर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रवेश बिंदु पर डिलीवर की गई गैस विनियम 8 में विनिर्दिष्ट मापदंडां के अनुरूप हो।

(8) शिपर प्राधिकृत संस्था को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और ऐसी गारंटी, सुनिश्चितता और सुरक्षा प्रदान करेगा, जो पहुंच प्रबंधन के तहत अपने वाणिज्यिक दायित्वों को पूरा करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो सकती है।

(9) शिपर अपने ग्राहकों को बिल देने और बकाया राशि की वसूली करने के लिए जिम्मेदार होगा। मीटर रीडिंग प्राधिकृत संस्था की जिम्मेदारी होगी, सिवाय पीएनजी घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर, जिसकी जिम्मेदारी शिपर की होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता हेतु आचार संहिता) विनियम, 2010 के अनुसार शिपर अपने ग्राहकों को बिल देने और उसकी वसूली से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिम्मेदार होगा।

(10) प्राधिकृत संस्था और शिपर दोनों ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता हेतु आचार संहिता) विनियम, 2010 का अनुपालन करेंगे।

**8. गैस मापदंड:**

(1) प्राधिकृत संस्था, बिना किसी भेदभाव के प्रवेश बिंदु पर गैस मापदंडों के लिए प्रारंभिक सीमा निर्दिष्ट करेगी, जैसे दबाव, तापमान और कैलोरी मान और गैस में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य प्रारंभिक सीमा, पहुँच व्यवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), नाइट्रोजन ($N_2$) और ऑक्सीजन ($O_2$):

बशर्ते कि पूर्वोक्त श्रेणियाँ या प्रारंभिक सीमाएं अनुसूची-VI में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

बशर्ते कि खुली कास्ट खनन से कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) गैस, या कोयला खदान मीथेन (सीएमएम) गैस के आधार पर सीजीडी नेटवर्क स्थापित किया गया हो, बोर्ड प्राधिकृत संस्था के आवेदन पर अनुसूची-VI में दिए गए विनिर्देशों से छूट की अनुमति दे सकता है।

(2) यदि प्रवेश बिंदुओं पर शिपर द्वारा डिलीवर की गई गैस पहुंच प्रबंध में निर्दिष्ट अनुसार और इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार गैस मापदंडों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो प्राधिकृत संस्था -

(क) इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है; या

(ख) नेटवर्क आवश्यकताओं को गैस से अपग्रेड करने के लिए किसी भी अतिरिक्त सुविधाओं या उपचार के लिए इसे स्वीकार कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के शिपर से सेवा की लागत ("ऑफ-स्पेक गैस प्रभार") पहुंच प्रबंधन के अनुसार प्रभार ले सकती है।

बशर्ते कि ऐसी ऑफ-स्पेक गैस मौजूदा ग्राहकों के निकास बिंदुओं पर प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रतिबद्ध गुणवत्ता-विनिर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालती हो।

(3) प्राधिकृत संस्था निकास बिंदुओं पर कमिंगलेड गैस पहुंचा सकती है, और निकास बिंदुओं पर गैस की गुणवत्ता पहुंच प्रबंध में सहमत स्वीकार्य बैंड के भीतर होगी।

(4) प्राधिकृत संस्था बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनियम के प्रावधानों के अनुसार शिपर को गैस डिलीवर करने से पहले पूरी गैस को गंध युक्त बनाएगी।

**9. प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सुविधाएं:**

(1) शिपर प्रवेश बिंदु पर प्राकृतिक गैस पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। प्राधिकृत संस्था माप उपकरण सहित शिपर की लागत पर प्रवेश बिंदु पर अभिरक्षा के हस्तांतरण और प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी:

बशर्ते कि ऐसा होने पर शिपर अपनी लागत से प्रवेश बिंदु पर अपना चेक मीटर लगा सके।

(2) शिपर अपने परिसर में प्राधिकृत संस्था द्वारा स्थापित किए जाने वाले उपकरण को मापने के लिए प्राधिकृत संस्था को हमेशा पहुंच प्रदान करेगा।

(3) प्राधिकृत संस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 के अनुसार निर्धारित सीजीडी की परिवहन दरों और सीएनजी की परिवहन दरों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए सीजीडी नेटवर्क और सीएनजी कंप्रेशन सुविधा प्रदान करेगी।

(4) प्राधिकृत संस्था अपनी निजी लागत पर उपकरण, दबाव को कम और नियंत्रित करने, गैस क्रोमैटोग्राफी या किसी अन्य प्रणाली के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी, जो प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच सहमति के अनुसार सभी निकास बिंदुओं पर शिपर को अभिरक्षा के हस्तांतरण और प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए आवश्यक है।

बशर्ते कि शिपर यदि चाहे तो निकास बिंदु पर अपनी लागत से अपना चेक मीटर स्थापित कर सकता है।

(5) प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सुविधाओं का रखरखाव क्रमशः शिपर और प्राधिकृत संस्था द्वारा किया जाएगा जब तक कि पहुंच प्रबंधन में अन्यथा सहमत न हों।

**10. नामांकन, निर्धारण, मीटरिंग, आवंटन और बिलिंग:**

(1) नामांकन, शेड्यूलिंग, मीटरिंग, आवंटन और बिलिंग प्रक्रिया पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट की जाएगी और शिपर पिछले दिन के बाद अगले दिन 10:00 बजे और पिछले सप्ताह के शुक्रवार को 10:00 बजे तक साप्ताहिक नामांकन की मात्रा नामित करेगा। प्रत्येक प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु के लिए नामांकन और अनुसूची, अगले दिन प्रत्येक घंटे के लिए सिस्टम प्रचालन उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बनाई जाएगी;

(2) प्राधिकृत संस्था नियमित रूप से गैस क्रोमैटोग्राफ द्वारा गैस की गुणवत्ता को मापेगी जब तक कि प्राधिकृत संस्था और पहुंच प्रबंधन के बीच शिपर के बीच सहमति न हो।

(3) माप उपकरणों की कुल त्रुटि सीमा और सटीकता प्राधिकृत संस्था और विनियमों के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी अनिवार्य विनिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन शिपर के बीच सहमति के अनुसार होगी।

(4) प्राधिकृत संस्था संबंधित कोड और मानकों के अनुसार माप उपकरण के सत्यापन, अंशांकन या प्रमाणन का कार्य करेगी।

**11. गैस लेखांकन और समायोजन:**

(1) गैस का लेखा-जोखा रोज़ाना ऊर्जा के संदर्भ में एमएमबीटीयू में किया जाएगा, और यह समय-समय पर संशोधित या आशोधित आईएसओ 6976-1:1983(ई) में परिभाषित अनुसार सकल कैलोरी मान पर आधारित होगा:

बशर्ते कि —

(क) संबंधित प्रवेश बिंदुओं पर वितरित दैनिक गैस को प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच सहमति के अनुसार सीधे सिस्टम के द्वारा मापा जाएगा;

(ख) औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए, संबंधित निकास बिंदुओं पर दैनिक उठान प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच सहमति के अनुसार प्रणाली के माध्यम से मापा जाएगा;

(ग) पीएनजी घरेलू ग्राहकों के लिए, गैस का लेखा-जोखा रखने के लिए रोज़ाना उठान संगत पीएनजी घरेलू ग्राहकों द्वारा गैस की औसत खपत के आधार पर माना जाएगा और इसका समायोजन प्रत्येक बिलिंग चक्र के समाप्त होने के सात दिनों के भीतर पहुंच प्रबंधन में सहमत कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा;

(घ) सीएनजी के लिए, गैस के दैनिक उठान को ऑनलाइन कंप्रेसर के आउटलेट पर किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मीटर पर मापा जाएगा और यदि सीएनजी स्टेशन पर गैस गुणवत्ता माप उपलब्ध नहीं है तो संगत दिवस को नेटवर्क में गैस के औसत गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर गैस के लेखांकन हेतु उसे एमएमबीटीयू में परिवर्तित किया जाएगा। यह संभव है कि हर सीएनजी स्टेशन पर गैस क्रोमैटोग्राफ उपलब्ध न हो। क्रोमैटोग्राफी के बिंदु पर गैस की गुणवत्ता नेटवर्क के एक विशेष क्षेत्र में समान मानी जाएगी और तदनुसार, सीएनजी स्टेशन के लिए गैस की गुणवत्ता के मापदंडों पर विचार किया जाएगा।

(2) विस्तृत माप और गैस लेखांकन प्रक्रिया पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट की जाएगी।

**12. प्रभार:**

(1) शिपर प्राधिकृत संस्था को अपने सीजीडी नेटवर्क या कंप्रेशन सुविधा और अन्य सेवाओं का लाभ उठानेके लिए निम्नलिखित प्रभार का भुगतान करेगा, अर्थात्:—

क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 के अनुसार "सीजीडी की परिवहन दर"।

ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 के अनुसार "सीएनजी की परिवहन दर" को।

ग) अधिक शुल्क प्रभार, यदि लागू हो;

घ) प्रणाली असंतुलन प्रभार, यदि लागू हो;

ड.) पहुंच प्रबंधन में सहमति के अनुसार ऑफ-स्पेक गैस प्रभार, यदि लागू हो;

च) लागू कर और शुल्क;

छ) पहुंच प्रबंधन में कोई अन्य प्रभार जैसे -

i. शिप या भुगतान;

ii. परिवहन या भुगतान;

iii. प्रणाली का तकनीकी उन्नयन यदि ऐसी सेवाओं के लिए शिपर द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया है;

iv. अनुसंधान एवं विकास, यदि ऐसी सेवाओं के लिए शिपर द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया है;

ज) बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य कोई शुल्क

खंड (ग) से (छ) में निर्दिष्ट प्रभार अनुसूची-। के प्रावधानों और विनियम 14, 15 और 16 में दिए गए प्रभारों के अनुसार होंगे।

**13. प्राधिकृत संस्था के कमी संबंधी प्रभार:**

प्राधिकृत संस्था का दायित्व शिपर को निर्धारित मात्रा तक क्षमता प्रदान करना होगा, जब तक कि विनियम 19 में निर्दिष्ट अनुसार नियोजित रखरखाव किया जाना हो या विनियम 20 में निर्दिष्ट अनुसार *अप्रत्याशित स्थितियां* हों या विनियम 21 में विनिर्दिष्ट अनुसार कोई आपातकाल हो।

**14. अधिक प्रभार लगाना:**

(1) प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर शिपर के लिए अधिक मात्रा की गणना की पद्धति को एक दिवस के लिए एमएमबीटीयू में बिना किसी भेदभाव के पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) निर्धारित मात्रा के पांच प्रतिशत तक अधिक होने पर शिपर को कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देना होगा। निर्धारित मात्रा से पांच प्रतिशत अधिक होने पर अधिक प्रभार लगेगा।

(3) निर्धारित मात्रा के पांच प्रतिशत से अधिक होने पर अतिरिक्त प्रभार उचित, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होगा और इसे पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) शिपर द्वारा एक दिन का देय अतिरिक्त प्रभार उस दिन प्रत्येक प्रवेश बिंदु के संबंध में देय अतिरिक्त प्रभार के योग के बराबर होगा।

**15. प्रणाली असंतुलन प्रभार:**

(1) एमएमबीटीयू में एक दिन की सकारात्मक असंतुलन मात्रा, सभी निकास बिंदुओं से ली गई शिपर की कुल मात्रा की तुलना में सभी प्रवेश बिंदुओं पर वितरित शिपर की कुल मात्रा से अधिक होगी।

(2) एमएमबीटीयू में एक दिन की नकारात्मक असंतुलन मात्रा, सभी निकास बिंदुओं से ली गई शिपर की कुल मात्रा की तुलना में सभी प्रवेश बिंदुओं पर वितरित शिपर की कुल मात्रा से अधिक होगी।

(3) दिन की शुरुआत में संचयी असंतुलन पिछले दिन के अंत में संचयी असंतुलन के बराबर होगा। पहले दिन की शुरुआत में जब प्राकृतिक गैस शिपर द्वारा वितरित की जाती है, तो संचयी असंतुलन शून्य होगा।

(4) दिन के अंत में संचयी असंतुलन दिन की शुरुआत में संचयी असंतुलन और दिन में हुए असंतुलन के योग के बराबर होगा।

(5) सभी प्रवेश बिंदुओं पर एमडीक्यू की राशि के पांच प्रतिशत के संचयी सकारात्मक या नकारात्मक असंतुलन तक शिपर को कोई असंतुलन शुल्क नहीं देना होगा। प्राधिकृत संस्था प्रतिदिन के आधार पर शिपर को असंतुलन की मात्रा बताएगी ताकि बाद की अवधि के लिए नामांकित राशि जमा करते समय असंतुलन को ठीक करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

यदि पंद्रह दिनों की अवधि में शिपर इस तरह के असंतुलन को ठीक करने में असमर्थ रहता है, तो, प्राधिकृत संस्था को प्रवेश बिंदुओं पर दैनिक नामांकन को समायोजित करने का अधिकार होगा और सीजीडी नेटवर्क की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे असंतुलन को ठीक करने के लिए निकास बिंदु होंगे।

इन सीमाओं से अधिक में संचयी सकारात्मक असंतुलन और संचयी नकारात्मक असंतुलन के लिए असंतुलन शुल्क उचित, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होगा।

(6) किसी विशेष दिन के लिए शिपर द्वारा देय असंतुलन प्रभार उप-विनियम 4 में निर्धारित की गई संचयी असंतुलन मात्रा के उत्पाद और पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट प्रति एमएमबीटीयू असंतुलन प्रभार के बराबर होगा।

(7) दैनिक असंतुलन गैस की मात्रा को हर पखवाड़े औद्योगिक, वाणिज्यिक और सीएनजी खंडों के लिए वास्तविक दैनिक पैमाइश राशि पर विचार करते हुए तथा घरेलू क्षेत्र के लिए गैस की परस्पर रूप से सहमत दैनिक खपत मात्रा मानते हुए शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच निपटाया जाएगा; निपटान की कार्यप्रणाली को पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट किया जाएगा। घरेलू क्षेत्र के लिए वास्तविक पैमाइश मात्रा के साथ सामंजस्य को शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच पहुंच प्रबंधन के अनुसार सहमति दी जाएगी।

(8) एस्क्रो खाते का रखरखाव

(क) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से बोर्ड द्वारा एक एस्क्रो खाता स्थापित करके उसका रखरखाव किया जाएगा, जिसमें असंतुलन और अधिक प्रभार के कारण प्राधिकृत संस्था द्वारा प्राप्त सभी प्रभार जमा किए जाएंगे।

(ख) प्राधिकृत संस्था लागू करों और शुल्कों सहित असंतुलन और अधिक प्रभार के लिए अलग से बिल प्रस्तुत करेगी। प्राधिकृत संस्था संबंधित प्राधिकारियों के पास कर और शुल्क जमा करेगी।

(ग) प्राधिकृत संस्था, शिपर से उस अवधि में उप-विनियम 6 में उल्लिखित असंतुलन और अधिक प्रभारों की वसूली के लिए सभी उचित प्रयास करेगी, जिस अवधि में यह शिपर को उसके परिवहन शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देती है।

(घ) प्राधिकृत संस्था उप-विनियम 6 (करों और शुल्कों को छोड़कर) में उल्लिखित प्रभारों को उसके द्वारा शिपर से प्राप्त करने पर उसे कैलेण्डर तिमाही, जिसके दौरान उसके द्वारा ऐसी राशि प्राप्त की गई, को समय-समय पर बोर्ड की अपेक्षा अनुसार रखे गए विवरण सहित पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा रखे गए एस्क्रो खाते में जमा करेगी।

परंतु प्राधिकृत संस्था को खंड (ज) के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित दावे को छोड़कर उसके द्वारा प्राप्त किसी भी राशि (करों और शुल्कों को छोड़कर) को रखने या कटौती करने की अनुमति नहीं है।

(ड.) प्राधिकृत संस्था बोर्ड को महीने-वार, भौगोलिक क्षेत्र-वार और शिपर-वार ऐसे प्रभारों का विवरण प्रस्तुत करेगी, जो प्रत्येक शिपर से वसूली जानी हों, शिपर से प्राप्त राशि और शिप्परों द्वारा देय राशि और खंड (घ) के प्रावधानों के अनुसार जमा की गई राशि के साथ इसका समायोजन करने के बाद प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर तिमाही आधार पर तथा ऐसे विवरण को चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित करते हुए और इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक वार्षिक प्रमाण-पत्र से प्रमाणित करते हुए उक्त विवरण को चौथी तिमाही के प्रमाण-पत्र के साथ बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) प्राधिकृत संस्था उसके द्वारा संविदात्मक दायित्वों की आपूर्ति के लिए तथा शिपर के ऐसे असंतुलन के कारण आपूर्ति या भुगतान और सीजीडी नेटवर्क के सिस्टम प्रबंधन के संदर्भ में उसके द्वारा खर्च की गई राशि का बोर्ड द्वारा रखे गए एस्क्रो खाते से दावा कर सकता है:

बशर्ते कि इस तरह का दावा एस्क्रो खाते में उसके द्वारा जमा की गई राशि से अधिक न हो।

(छ) खंड (घ) के तहत दावे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर बोर्ड को प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें इसके द्वारा दी गई राशि का विवरण, इसके बैंक

खाते का विवरण, स्थायी खाता संख्या और इस तरह के दावे के विस्तृत विवरण सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐसे विवरण को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र शामिल होगा।

(ज) बोर्ड ऐसे दावों की योग्यता के आधार पर पुष्टि करेगा और वह जैसा उचित समझे ऐसी और जानकारी की मांग कर सकता है तथा बोर्ड पूरी जानकारी प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्राधिकृत संस्था को अनुमोदित दावे की मात्रा सूचित करेगा, जिसकी बाद में बोर्ड द्वारा विशिष्ट लिखित अनुमोदन के बाद ही अधिकृत कंपनी द्वारा एस्क्रो खाते में उसके द्वारा बाद में जमा की जाने वाली राशि से कटौती की जा सकती है।

(झ) एस्क्रो खाते में उपलब्ध शेष राशि को प्राधिकृत संस्था द्वारा पात्र निकासी के बाद, खंड (ज) के तहत इस तरह से और ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

**16. हर घंटे की डिलीवरी, उठान और प्राप्ति दरें:**

(1) एमडीआर, एमओआर और एमआरआर, तथा प्रति घंटा निर्धारित दरों से अधिकृत विचलन जिसके लिए शिपर को कोई शुल्क नहीं देना होगा, को पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) प्रति घंटे डिलीवरी और इन सीमाओं से अधिक दरों में विचलन संबंधी प्रभार को पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि शिपर ने विनियम 5 के तहत क्षमता बुक की है तो शिपर को प्रति घंटे डिलीवरी में विचलन के लिए और सीजीडी नेटवर्क पर प्रवेश और निकास बिंदु क्षमता तक इसका एक्सेस शुरू होने के पहले साठ दिनों तक पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक की दरों के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

**17. सिस्टम उपयोग गैस (एसयूजी), लुप्त और अनकाउंटेड गैस (एलयूएजी) के लिए:**

प्राधिकृत संस्था एसयूजी और एलयूएजी, यदि कोई हो, को अवशोषित करेगी और शिपर पर इसका कोई दायित्व नहीं डालेगी:

बशर्ते कि प्राधिकृत संस्था किसी भी स्रोत से एसयूजी और एलयूएजी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हो।

**18. लाइन पैक (एलपी):**

प्राधिकृत संस्था एलपी को अपने आप ही व्यवस्थित और अवशोषित करेगी और शिपर पर इसका कोई दायित्व नहीं डालेगी:

**19. नियोजित रखरखाव:**

(1) प्राधिकृत संस्था समय से पहले परिभाषित अवधि के लिए अपनी रखरखाव योजना के बिना किसी भेदभाव के शिपर को पहुंच प्रबंधन में हुई सहमति के अनुसार सूचित करेगी, जिसमें उन प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान की जाएगी जहां प्राकृतिक गैस प्रवाह को ऐसे रखरखाव, प्रतिबंधों की सीमा और इनके घटने के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। प्राधिकृत संस्था नियमित गैस आपूर्ति में व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए इस तरह के रखरखाव की योजना बनाएगी।

(2) घरेलू पीएनजी को छोड़कर सभी खंडों में किसी भी ग्राहक के लिए नियोजित रखरखाव किसी भी कैलेंडर वर्ष में दस दिनों की संचयी अवधि से अधिक नहीं होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को अधिकृत करना) विनियम, 2008 में निर्दिष्ट सेवा दायित्व और अन्य संबंधित विनियम घरेलू पीएनजी ग्राहकों पर लागू होंगे।

**20. अप्रत्याशित स्थितियां:**

अप्रत्याशित स्थितियां प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच संविदा द्वारा अधिशासित होंगी।

**21. संचालन प्रक्रियाएं और आपात स्थिति:**

(1) संचालन प्रक्रियाओं को प्राधिकृत संस्था और शिपर द्वारा नियमित प्रचालन के साथ-साथ कोई आपात स्थिति होने पर पहुंच प्रबंधन में शामिल किया जाएगा।

(2) एक आपात स्थिति हो सकती है -

(क) गैस के रिसाव, या संदिग्ध रिसाव के कारण; या

(ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में, अर्थात्:-

(i) नेटवर्क की सुरक्षा खतरे में है;

(ii) नेटवर्क के माध्यम से गैस का सुरक्षित संवहन जोखिम में है;

(iii) नेटवर्क द्वारा सूचित गैस ऐसे दबाव में या ऐसी गुणवत्ता की हो, जो ग्राहक के परिसर में आपूर्ति करने पर जीवन या संपत्ति के लिए खतरा हो; या

(iv) अन्य कोई परिस्थिति जिसके बारे में प्राधिकृत संस्था को यह विश्वास हो कि यह आपातकाल है, जिसमें संदेह से बचने के लिए किसी प्रवेश बिंदु की परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है, और जहाँ संदर्भ में अपेक्षित हो, किसी आपात स्थिति के संदर्भ में ऐसी घटना या परिस्थिति शामिल हो सकती है जिससे इस तरह का आपातकाल उत्पन्न हो सकता है।

(3) प्राधिकृत संस्था आपातकाल के बाद नेटवर्क के सामान्य प्रचालन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कदम उठाएगी। सीजीडी नेटवर्क में आपात स्थिति या व्यवधान या रुकावट के मामले में विभिन्न ग्राहक खंडों में सेवाओं की बहाली निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में की जाएगी, अर्थात्:-

(क) घरेलू पीएनजी ग्राहक;

(ख) आवश्यक सेवाएं, जैसे अस्पताल, क्लीनिक, दूध की आपूर्ति;

(ग) सीएनजी ग्राहक;

(घ) अन्य ।

**22. सूचना की गोपनीयता:**

खुलासा की गई, वितरित या आदान-प्रदान किए गए सभी प्रलेखन, सूचना, डेटा, प्रस्तुतियाँ, टिप्पणियां, आदि को चाहे लिखित रूप में हों या अन्यथा किसी संस्था, प्राधिकृत संस्था, शिपर या किसी अन्य पार्टी के बीच या इन विनियमों की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप या किसी अन्य पक्ष के बीच गोपनीय माना जाएगा और इसका पूर्ण या आंशिक रूप में खुलासा नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी भी न्यायालय, बोर्ड या अन्य विनियामक प्राधिकारियों में किसी भी कार्यवाही के संबंध में या किसी भी कानून में अपेक्षित अनुसार खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस तरह के प्रलेखन, सूचना, डेटा, प्रस्तुतियाँ, टिप्पणियां, आदि पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में न हों।

**23. विविध:**

(1) बोर्ड के पास इन विनियमों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा और किसी भी विवाद के मामले में, बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(2) यदि इन नियमों की व्याख्या के अनुसार कोई प्रश्न उठता है, तो इसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

**24. निरसन:**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 निरस्त माना जाएगा, सिवाय इस प्रकार निरस्त विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई हो या लोप किया गया हो।

## अनुसूची- I

## पहुंच प्रबंधन दिशानिर्देश के लिए प्रावधान

*(विनियम 2(1)(क) देखें)*

### 1.0 पहुंच प्रबंधन प्रावधान

इस अनुसूची में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिनका अनुपालन अधिकृत संस्था द्वारा इन विनियमों की अन्य आवश्यकताओं के अलावा, शिपर के साथ अपनी मानकीकृत पहुंच व्यवस्था तैयार करते हुए किया जाएगा। प्राधिकृत संस्था अपने सीजीडी नेटवर्क की घोषणा के पैंतालीस दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर ऐसी व्यवस्था के मानक प्रारूप को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में प्रकाशित करेगी।

### 2.0 सेवाएं

पहुंच प्रबंधन में प्राधिकृत संस्था द्वारा शिपर को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी:-

क) प्रवेश बिंदु पर गैस की प्राप्ति;

ख) प्रवेश बिंदु से निकास बिंदु तक गैस का परिवहन;

ग) निकास बिंदु पर गैस का वितरण;

घ) सीजीडी नेटवर्क की पैमाइश, बिलिंग, परिचालन और सुरक्षा आवश्यकताओं के उद्देश्य से गैस की मात्रा, गुणवत्ता, दबाव, तापमान और किसी अन्य पैरामीटर का माप;

ड.) ग्राहकों को सेवा देने के लिए स्थापित सभी संबंधित सामग्री, उपकरण और उपकरणों सहित नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का रखरखाव;

च) सीजीडी नेटवर्क में शिपर की गैस इन्वेंट्री का प्रबंधन करना।

प्राधिकृत संस्था शिपर को ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिसके लिए शिपर द्वारा लिखित में अनुरोध किया गया है और जिन पर सीजीडी नेटवर्क के संबंध में प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच सहमति हुई हो।

### 3.0 प्राधिकृत संस्था को 'अपना शिपर जानें' प्रस्तुति और गारंटी।

क) शिपर को अधिकृत संस्था को उनके द्वारा अपेक्षित अनुसार शिपर की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए 'अपना शिपर जानें' ("केवाईएस") सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। तथापि, यह प्रक्रिया किसी भी सीजीडी नेटवर्क की मौजूदा अधिकृत संस्था पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा ऐसा प्राधिकार समाप्त या रद्द नहीं किया गया हो। क्षमता बुकिंग के लिए शिपर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पहले केवाईएस प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि शिपर द्वारा अपना केवाईएस पहले प्रस्तुत किया गया है और उसे प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्व में स्वीकार किया गया है, तो प्राधिकृत संस्था शिपर को क्षमता बुकिंग के समय ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहेगी। केवाईसी की प्रक्रिया को सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) शिपर, पारस्परिक समझौते के अनुसार बिना शर्त समर्थित साख-पत्र या किसी अन्य साधन के रूप में प्राधिकृत संस्था को साठ दिनों की अधिकतम दैनिक मात्रा (एमडीक्यू) के बराबर भुगतान गारंटी प्रदान करेगा और बनाए रखेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति के मामले में, शिपर द्वारा गैस की आपूर्ति में विफलता के मामले में इस खंड को आपूर्ति के डिस्कनेक्शन से बचने के लिए परस्पर रूप से सहमत वित्तीय साधन के रूप में औसत गैस खपत के एक सौ पैंतालिस दिनों के भुगतान की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

### 4.0 शिपर और प्राधिकृत संस्था की बाध्यताएं

शिपर और प्राधिकृत संस्था की बाध्यताएं विनियम 7 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

## 5.0 प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सुविधाएं।

क) प्राधिकृत संस्था द्वारा पहुंच प्रबंधन में शिपर को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।

ख) पहुंच प्रबंधन में यह दर्शाया जाएगा कि प्राधिकृत संस्था या शिपर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सभी सुविधाओं का मालिकाना अधिकार रखती हैं, उसे बनाए रखती हैं या उसका संचालन करती हैं।

ग) प्राधिकृत संस्था के पास अधिनियम के तहत पहुंच प्रबंधन और अन्य संगत अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम 9 के अनुसार तर्कसंगत पहुंच होगी। शिपर संगत नोटिस मिलने पर प्राधिकृत संस्था के प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु सुविधाओं का अपनी लागत पर निरीक्षण कर सकता है।

घ) प्राधिकृत संस्था और शिपर माप प्रयोजन के लिए संबंधित स्थलों पर उद्योग द्वारा अपनाए जाने वाले 6.00 बजे के मानक समय का पालन करेंगे।

ड.) शिपर या प्राधिकृत संस्था द्वारा धारित सुविधाओं का रखरखाव विनियम 20 के संबंधित प्रावधानों और अधिनियम के तहत अधिसूचित अन्य संगत नियमों के अनुसार समय-समय पर किया जाएगा।

च) स्वचालन सहित अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रभार जो या तो शिपर द्वारा या प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रवेश बिंदु या निकास बिंदु पर आवश्यक हो सकते हैं, को उस पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा जिसे ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है।

छ) शिपर या शिपर के ग्राहकों द्वारा चोरी करने या कदाचार के सिद्ध मामले में, प्राधिकृत संस्था शिपर को इसके वैध कारणों से अवगत कराते हुए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को निलंबित या डिस्कनेक्ट करने का अधिकार होगा। इसके बाद शिपर यह सुनिश्चित करेगा कि गैस की आपूर्ति को बहाल करने से पहले प्राधिकृत संस्था को गैस मिलान के अंतर का भुगतान किया जाए।

## 6.0 सेवा दायित्व

### (क) मीटरिंग

प्राधिकृत संस्था द्वारा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में गैस परिवहन के माप और विश्लेषण के संबंध में शिपर और प्राधिकृत संस्था के अधिकार, रुचि, पारस्परिक संविदा और दायित्व मीटरिंग के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की आचार संहिता में निर्धारित अनुसार होंगे।

मीटरिंग के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की आचार संहिता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा गुणवत्ता की आचार संहिता) विनियम, 2010; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 और अन्य सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप होगी।

प्राधिकृत संस्था शिपर की लागत पर या पहुंच प्रबंधन में हुई सहमति के अनुसार प्रवेश बिंदु पर मीटर की सुविधा प्रदान करेगी। गैस की मात्रा को मापने के लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा माप उपकरण लगाए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा –

i. प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर सीजीडी नेटवर्क में प्राप्त गैस; तथा

ii. प्रत्येक निकास बिंदु के माध्यम से डिलीवर की गई गैस।

प्राधिकृत संस्था प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर गैस की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रावधान करेगी या अपस्ट्रीम पाइपलाइन सेवा प्रदाता या गैस आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सुविधा का उपयोग करेगी।

यदि शिपर प्राधिकृत संस्था के मीटर में कोई दोष होने के मामले की शिकायत करती है तो दोष की जांच करने और उसमें सुधार करने का खर्च प्राधिकृत संस्था द्वारा वहन किया जाएगा यदि जांच के दौरान कोई भी दोष पाया जाता है, अन्यथा ऐसा खर्च शिपर द्वारा वहन किया जाएगा।

मीटरिंग सुविधा का डिजाइन सभी लागू कानूनों और विनियमों के साथ-साथ मीटरिंग के लिए प्राधिकृत संस्था की आचार संहिता विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

**(ख) माप उपकरण का वैकल्पिक स्वामित्व**

यदि आवश्यक हो, तो माप उपकरण का वैकल्पिक स्वामित्व, पहुंच प्रबंधन में प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच परस्पर सहमति से होगा। प्राधिकृत संस्था, जहां आवश्यक हो, मापक उपकरण के स्वामित्व वाले शिपर की जांच कर सकती है।

**(ग) सत्यापन और अंशांकन**

माप उपकरण पर किए जाने वाले सत्यापन और अंशांकन की प्रक्रिया और पद्धति पैमाइश के लिए प्राधिकृत संस्था की आचार संहिता के अनुसार होगी।

माप उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार पार्टी जब भी आवश्यक समझा जाएगा, ऐसे उपकरण के सत्यापन और अंशांकन की प्रक्रिया अपने खर्च पर और मीटर लगाने के लिए प्राधिकृत संस्था की आचार संहिता में निर्धारित अनुसार करेगी।

सत्यापन या अंशांकन करने से पहले, जैसा भी मामला हो, इसके माप उपकरण पर प्राधिकृत संस्था प्रक्रिया को देखने के लिए संगत शिपर को आमंत्रित करेगी। तथापि, शिपर की अनुपलब्धता के कारण इस तरह के सत्यापन या अंशांकन को रोका या आस्थगित नहीं किया जाएगा।

यदि माप उपकरणों के सत्यापन के परिणाम पर विवाद होता है, तो विवादित पक्ष सत्यापन या अंशाकन की तारीख से सात दिनों के भीतर प्राधिकृत संस्था को सूचित करेगा।

प्राधिकृत संस्था सत्यापन को सत्यापित करने के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ को निर्देश दे सकती है। यदि विशेषज्ञ सत्यापन को सही पाता है, तो शिपर उक्त सत्यापन की लागत और स्वतंत्र विशेषज्ञ की लागत को वहन करेगा। यदि माप उपकरण का सत्यापन गलत पाया जाता है, तो प्राधिकृत संस्था न केवल प्रक्रिया की पूरी लागत वहन करेगी, बल्कि विवाद की तारीख से त्रुटि की सीमा तक नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई भी करेगी जो अगले बिलिंग चक्र में दोषपूर्ण माप के कारण उत्पन्न होती है।

**(घ) मापन उपकरणों का संचालन और रखरखाव।**

माप उपकरण की मालिक संस्था प्राधिकृत संस्था की मीटरिंग आचार संहिता के अनुसार सभी माप उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। तथापि, प्रवेश बिंदु के मामले में तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के मामले में, जिसमें माप उपकरण की लागत शिपर द्वारा वहन की जाती है, प्राधिकृत संस्था आपसी समझौते के अनुसार माप सुविधा की स्थापना, संचालन और रखरखाव (आवश्यक प्रतिस्थापन सहित यदि कोई हो) के लिए प्रभार लेगी।

**7.0 गैस की गुणवत्ता।**

**(क) गैस विशिष्टि और दबाव।**

प्राधिकृत संस्था द्वारा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के माध्यम से वितरण के लिए प्रवेश बिंदु पर शिपर द्वारा वितरित या वितरित की जाने वाली सभी गैस विनियमों के अनुसार गैस मापदंडों के अनुरूप होगी।

सीजीडी नेटवर्क में प्रवेश करने वाली सभी गैस सीजीडी प्रचालन दबाव और तापमान की सीमा के भीतर होगी।

**(ख) ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस।**

(i) ऐसी स्थिति में जब किसी प्रवेश बिंदु पर वितरित की जाने वाली गैस, अनुसूची-VI के अनुसार गैस विनिर्देश (ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस) का पालन नहीं करती है, तो शिपर प्राधिकृत संस्था को गैस विनिर्देश से विचलन के बारे में सूचित करेगा।

(ii) प्राधिकृत संस्था को प्रवेश बिंदु पर ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस को लेने से मना करने का अधिकार होगा, लेकिन अन्यथा वह ऐसे ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस को स्वीकार कर सकती है।

(iii) यदि प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस है, तो प्राधिकृत संस्था को तत्काल प्रभाव से शिपर से गैस की प्राप्ति (पूरी तरह या आंशिक रूप से) को निलंबित करने का अधिकार होगा, जब तक कि प्राधिकृत संस्था संतुष्ट नहीं होती है कि कौन सी शिपर गैस विनिर्देश के भीतर गैस को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में वितरित करने में सक्षम है।

(iv) उपरोक्त के बावजूद, यदि ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस सीजीडी नेटवर्क में एक या अधिक शिपर या प्राधिकृत संस्था के माध्यम से प्रवेश करती तो प्राधिकृत संस्था अन्य शिपरों से पूछ सकता है कि क्या शिपर या उसके अंतिम-उपयोगकर्ता और ग्राहक ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

(v) ऐसे शिपर इसकी स्वीकृति के लिए उचित प्रयास करेंगे या अन्य निकास बिंदु पर ऑफ-विनिर्देश गैस की डिलीवरी लेने से इनकार कर सकते हैं।

(vi) प्राधिकृत संस्था सीजीडी नेटवर्क में प्रविष्ट ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस का निपटान कर सकती है यदि वह सीजीडी नेटवर्क और अन्य सुविधाओं की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत संस्था द्वारा फिट किए गए तरीके से नेटवर्क की अखंडता के लिए असुरक्षित है।

(vii) ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस का प्रबंधन करने में लगने वाला खर्च शिपर द्वारा वहन किया जाएगा जिसने सीजीडी नेटवर्क में ऐसी गैस को इंजेक्ट किया है। प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित ऐसे ऑफ-स्पेसिफिकेशन गैस प्रभार की लागत तटस्थ होगी।

**8.0 प्रणाली की अखंडता, अनुशासन और ग्रिड प्रबंधन**

**(क) नामांकन**

(i) शिपर गैस की मात्रा के बारे में प्राधिकृत संस्था को सूचित करेगा जिसे शिपर प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर वितरित करना चाहता है और एक दिवस (डी) को सीजीडी नेटवर्क के प्रत्येक निकास बिंदु पर प्राप्त करता है।

(ii) यदि शिपर की गैस डिलीवरी आवश्यकताओं (आंतरिक दिवस नामांकन) में कोई भी परिवर्तन होता है तो शिपर नामांकन को फिर से जमा कर सकता है, और प्राधिकृत संस्था द्वारा उचित प्रयास के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।

(iii) शिपर विस्तृत नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो पहुंच प्रबंधन के अनुसार है। नामांकन में –

क. दिन या दिनों को निर्दिष्ट करें जिससे वह संबंधित है;

ख. नामांकित मात्रा निर्दिष्ट करें;

ग. अंतिम उपयोगकर्ता की पहचान करें जो सीजीडी नेटवर्क से गैस की संबंधित मात्रा का उठान करेगा; तथा

घ. प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु निर्दिष्ट करें।

(iv) उपरोक्त के अलावा, शिपर को प्राधिकृत संस्था की प्रचालन प्रक्रिया के अनुरूप वार्षिक अनुमान और साप्ताहिक नामांकन प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

(v) दीर्घावधि में, नामांकन प्रक्रिया भौतिक रूप से शिपर के लिए यथासंभव लचीली होगी। नई नामांकन प्रक्रियाओं (प्रारंभिक प्रणालियां और निर्धारित लागत दोनों और चालू प्रशासनिक लागत में कोई वृद्धि या जटिलता) को शुरू करने की लागत पर छूट के सिद्धांत में एक संतुलन होगा।

**(ख) आवंटन और निर्धारण**

आबंटन एक गणितीय व्यवस्था है जिसके द्वारा प्राधिकृत संस्था किसी सीजीडी नेटवर्क में प्रत्येक शिपर को एक या संयुक्त प्रवेश बिंदुओं पर प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए सीजीडी नेटवर्क में प्रत्येक शिपर को क्षमता आवंटित करती है और संगत प्रवेश बिंदु या निकास बिंदु से मापी गई गैस की मात्रा का उचित हिस्सा निर्धारित करती है।

**(i) आवंटन प्रक्रिया**

प्राधिकृत संस्था मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) में मापे गए शिप्परों को प्रवेश बिंदु क्षमता और निकास बिंदु क्षमता आवंटित करेगी।

**(ii) निर्धारण प्रक्रिया**

प्राधिकृत संस्था वास्तविक गैस परिवहन दिवस के बाद शिप्परों में शिपर और निकास बिंदु मात्रा के लिए प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस की वास्तविक मात्रा के आधार पर, प्रवेश बिंदु मात्रा आवंटित करेगी।

शिपर स्वीकार करता है कि प्रवेश बिंदु पर गैस की प्राप्ति या निकास बिंदु पर गैस की डिलीवरी, इसके संबंध में किए गए आंतरिक दिवस नामांकन से बिल्कुल मेल नहीं खाती है और परिणामस्वरूप गैस की डिलीवर और कम और अधिक डिलीवरी हो सकती है।

प्रवेश बिंदु पर प्रवेश की सभी मात्रा और प्रत्येक निकास बिंदु पर निकास मात्रा को शिपर को आवंटित की जाएगी जो नामांकन के संबंध में ऐसी किसी कम या अधिक डिलीवरी के कारण की परवाह किए बिना होगी।

**(iii) आवंटन और निर्धारण डेटा**

प्राधिकृत संस्था डेटा को प्रोसेस करेगी और शिपर को अधिक मात्रा, भिन्नता और असंतुलन सहित आवंटित मात्रा सूचित करेगी। प्राधिकृत संस्था ऐसे डेटा को अन्य शिप्पर को नहीं देगी।

सामान्य संचालन के तहत, आवंटित डेटा पुष्टि नामांकन के आधार पर होगा, लेकिन जब क्षमता में कटौती होती है, तो आवंटित डेटा प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिरोपित सुनिश्चित कटौती मात्रा के आधार पर होगा।

प्राधिकृत संस्था डेटा को दैनिक आधार पर संगत शिपर को उपलब्ध कराएगी।

**(iv) अनुसूचित मात्रा की गणना**

प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुसूचित निकास मात्रा की गणना विनियम 5(4) के अनुसार की जाएगी।

**(ग) अधिक मात्रा होना**

**(i) मात्रा का नियम और सिद्धांतों से अधिक होना**

अधिक मात्रा तब होती है जब कोई शिपर निर्धारित क्षमता से अधिक गैस परिवहन मात्रा लेता है। सभी अधिक मात्रा को अनधिकृत माना जाएगा और उस पर अनधिकृत अधिक मात्रा प्रभार लगेगा।

अग्रिम में अधिकृत अधिक मात्रा को छोड़कर यदि वे प्राधिकृत संस्था के लिए कोई परिचालन बाधा नहीं उत्पन्न कारती हैं उदाहरण के लिए यदि किसी शिपर ने एक दिन के लिए अतिरिक्त गैस परिवहन मात्रा का अनुरोध किया है, तो प्राधिकृत संस्था शिपर को ऐसी मात्रा लेने के लिए अधिकृत करेगी बशर्ते कि पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो।

अधिकृत अधिक मात्रा के परिवहन की कीमत पहले से निर्धारित होगी जो –

क. काफी अधिक होगी, लेकिन एक दशमलव पांच गुना विनियमित प्रभार से अधिक नहीं होगी, ताकि शिपर सुनिश्चित ट्रांसमिशन सर्विस के लिए अनुबंध करने की बजाय अधिक मात्रा सर्विस पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित न हों; लेकिन

ख. यह इतना अधिक न हो जो आर्थिक रूप से अक्षम हो।

प्राधिकृत संस्था द्वारा उपरोक्त को एक-समान, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा।

तथापि, अनधिकृत अधिक मात्रा के लिए अनधिकृत अधिक मात्रा प्रभार लिया जाएगा। अनधिकृत अधिक मात्रा प्रवाहित करने वाले शिप्परों पर दंड लगाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि परिवहन अधिकारों के नियमित उल्लंघन से क्षमता अधिकारों के लिए बाजार बाधित न हो।

क्षमता से अधिक मात्रा, चाहे अधिकृत हो या अनधिकृत, को सामान्य रूप से हतोत्साहित किया जाएगा क्योंकि —

(i) गैर-दंडात्मक कीमतों पर प्राधिकृत संस्था से अल्प सूचना पर क्षमता प्राप्त करने की क्षमता फर्म की क्षमता के अधिकार के मूल्य को रेखांकित करेगी; तथा

(ii) अधिक मात्रा से लागत बढ़ेगी, और इसलिए शिपर अधिक मात्रा के उपयोग पर निर्भर नहीं होंगे।

निम्नलिखित सिद्धांतों को प्राधिकृत संस्था और शिपर्स द्वारा अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है, अर्थात्:—

(क) आवंटित मात्रा के पांच प्रतिशत से अधिक पर कोई प्रभार नहीं।

(ख) अनधिकृत क्षमता लेने पर काफी अधिक प्रभार लगाया जाता है;

(ग) जब नेटवर्क पर अतिरिक्त भौतिक क्षमता होती है, तो अधिकृत निकाय द्वारा एक समय में एक दिन की अवधि के लिए अधिक क्षमता को अधिकृत किया जाता है (जब तक यह कोई परिचालन बाधा न डाली जाए और यह सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर होता है);

(घ) भौतिक क्षमता में कमी होने पर क्षमता की अधिक मात्रा को अधिकृत नहीं किया जाएगा; तथा

(ड.) अधिकृत क्षमता के बढ़ने की कीमत को इस तरह से तय किया जाता है जिससे शिपर ऐसे व्यापार की अनुमति होने पर द्वितीयक बाजार में क्रय क्षमता के बजाय बार-बार अधिकार मांगने के लिए हतोत्साहित हों।

**(ii) अनधिकृत अधिभार आरोप।**

शिपर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस की मात्रा और किसी भी दिन निकास बिंदु पर डिलीवरी परिवहन पथ की अधिकतम दैनिक मात्रा से अधिक न हो।

अनधिकृत अधिक मात्रा प्रभार = अनधिकृत अधिक मात्रा x अनधिकृत अधिक मात्रा दर

अनधिकृत अधिक मात्रा दर = दो सौ प्रतिशत x लागू प्रभार

अनधिकृत अधिक प्रभार की गणना प्रत्येक प्रवेश और निकास बिंदु पर स्वतंत्र रूप से और सकल आधार पर की जाएगी।

**(घ) संतुलन**

**(क) संतुलन सिद्धांत**

असंतुलन तब पैदा होता है, जब भी किसी संतुलन अवधि में प्रवेश बिंदु पर किसी शिपर की डिलीवरी, ग्राहकों के उठान से अलग होती है, जिसे शिपर निकास बिंदु पर प्रदान करता है। यह तब हो सकता है जब मांग अपेक्षा से अधिक या अपेक्षा से कम है या क्योंकि डिलीवरी अपेक्षा से अधिक या कम या दोनों हैं। असंतुलन को दूर करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और कुशल व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

**(ख) असंतुलन प्रभार**

i. विनियम 15 के उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट अनुसार, किसी विशेष दिन के लिए शिपर द्वारा देय असंतुलन प्रभार संबंधित विनियम के उप-विनियम (4) में निर्धारित की गई संचयी असंतुलन मात्रा के उत्पाद और पहुंच प्रबंधन में विनिर्दिष्ट असंतुलन दरों के बराबर होगा।

ii. विनियम 15 के उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट अनुसार, गैस की मात्रा का दैनिक असंतुलन औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों के लिए वास्तविक दैनिक पैमाइश की मात्रा और घरेलू पीएनजी खंड के लिए गैस की परस्पर सहमत दैनिक खपत मात्रा को देखते हुए शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच निर्धारित किया जाएगा; निपटान के लिए कार्यप्रणाली पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट की जाएगी। घरेलू पीएनजी क्षेत्र के लिए वास्तविक पैमाइश मात्रा के साथ सामंजस्य शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच पहुंच प्रबंधन में सहमति अनुसार होगा।

iii. असंतुलन प्रभार की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिशत का प्रयोग करके आवंटित मात्रा पर की जाती है।

दैनिक असंतुलन प्रभार = संचयी असंतुलन मात्रा x असंतुलन दर

जहाँ, संचयी असंतुलन मात्रा = विनियम 15 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट एक दिन की समाप्ति पर संचयी असंतुलन।

**(ग) असंतुलन दर**

i. नकारात्मक असंतुलन दर

विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक की नकारात्मक असंतुलन मात्रा की गणना असंतुलन होने के दिन प्राधिकृत संस्थाओं के नेटवर्क में गैस की उच्चतम लागत के एक सौ बीस प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि विनियम 16 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिशत तक नकारात्मक असंतुलन मात्रा विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट सुधार के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी।

ii. सकारात्मक असंतुलन दर।

विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक के सकारात्मक असंतुलन की मात्रा की गणना एक सौ प्रतिशत की दर से की जाएगी। असंतुलन होने के दिन प्राधिकृत संस्थाओं के नेटवर्क में गैस की लागत सबसे कम होगी:

बशर्ते कि विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिशत तक सकारात्मक असंतुलन मात्रा विनियम 15 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट सुधार के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

**(ङ.) परिवर्तन प्रभार**

परिवर्तन प्रभार गैस की प्रति घंटा डिलीवरी अनुसूची दर में विचलन होने का प्रभार है।

परिवर्तन के संबंध में स्वीकार्य सीमाएँ और संबंधित प्रभार का भुगतान प्राधिकृत संस्था को पहुंच प्रबंधन में परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों और दरों के अनुसार किया जाएगा।

**9.0 सांविधिक शुल्क**

शिपर के लिए किसी भी सर्विस के प्रावधान के दौरान प्राधिकृत संस्था द्वारा खर्च किए गए सभी वैधानिक शुल्क शिपर द्वारा वहन किए जाएंगे।

**10.0 अन्य शुल्क**

**प्राधिकृत संस्था की कमी संबंधी प्रभार**

प्राधिकृत संस्था, शिपर को पर्याप्त मुआवजा देगी, यदि प्राधिकृत संस्था मासिक आधार पर गणना की गई मात्रा के अस्सी प्रतिशत तक क्षमता प्रदान करने में असमर्थ है, जब तक कि शिपर और प्राधिकृत संस्था के बीच पहुंच प्रबंधन में निर्दिष्ट अनुसार कोई नियोजित रखरखाव, ब्रेकडाउन, सिस्टम या नेटवर्क विफलता, तीसरे पक्ष को क्षति, अप्रत्याशित स्थितियां या कोई आपात स्थिति या कोई भी अन्य मुद्दे न हों।

अधिकृत संस्था और शिपर के बीच मुआवजे के लिए सहमति होगी, बशर्ते कि पीएनजी के लिए प्रदान की जाने वाली क्षमता में प्रति एमएमबीटीयू न्यूनतम पंद्रह रुपए प्रति टन और सीएनजी के लिए प्रदान की जाने वाली क्षमता में प्रति किलोग्राम एक रुपये की कमी हो।

**11.0 चालान और भुगतान**

प्राधिकृत संस्था और शिपर बिलिंग चक्र, बिलिंग तिथि, ऋण अवधि, सेट-ऑफ और समायोजन और विवाद प्रावधानों, विलंबित और गैर-भुगतान के परिणामों के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत होंगे जो उचित और प्रचलित उद्योग प्रथा के अनुरूप हो सकते हैं।

**12.0 संचार**

**(क) प्रस्तावना**

पार्टियों के लिए विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति में समय पर उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित संचार प्रक्रिया जान-माल की रक्षा और गैस आपूर्ति में रुकावट को कम करने के लिए आवश्यक है। यह नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राधिकृत संस्था और शिपरों के बीच एक अच्छा तालमेल और संबंध स्थापित करने के साथ-साथ आपसी समझ और सहयोग को स्थापित करने में भी मदद करेगी।

प्राधिकृत संस्था और शिपर संचार प्रोटोकॉल स्थापित करेंगे जो सामान्य और आपातकालीन स्थिति के दौरान प्राधिकृत संस्था और शिपर का मार्गदर्शन करेगा। सीजीडी नेटवर्क का सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाएगा।

**(ख) गैस प्रबंधन प्रणाली**

प्राधिकृत संस्था वेब-आधारित, गैस प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) की स्थापना और संचालन को सुरक्षित कर सकती है जो प्राधिकृत संस्था और शिपर के बीच सूचना का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रदान करती है।

प्राधिकृत संस्था और शिपर जीएमएस के माध्यम से नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के दैनिक संचालन और निगरानी के प्रयोजनों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं।

जीएमएस के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा दी गई जानकारी केवल संबंधित शिपर के पोर्टफोलियो तक ही सीमित रहेगी।

प्राधिकृत संस्था शिपर को निम्नलिखित एक्सेस और उपयोग प्रदान कर सकती है-

i. जीएमएस में शिपर का पोर्टफोलियो;

ii. जीएमएस के संबंध में स्थापित सॉफ्टवेयर; तथा

iii. जीएमएस के संबंध में प्राधिकृत संस्था द्वारा नियमावली या कोई सामग्री।

**13.0 कटौती**

**(क) प्रस्तावना**

प्राधिकृत संस्था एक दिन में सीजीडी नेटवर्क में सेवाओं की कटौती करना अनिवार्य कर सकती है, ताकि पहुंच प्रबंधन के तहत सभी शिप्परों द्वारा नामांकित गैस की कुल मात्रा के अपर्याप्त होने पर उसका परिवहन किया जा सके और इस तरह कटौती से प्राधिकृत संस्था पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**(ख) अप्रत्याशित स्थितियों के लिए कटौती**

प्राधिकृत संस्था शिपर की सेवाओं के प्रावधान में कटौती कर सकती है यदि –

क. अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न होती हैं; तथा

ख. अप्रत्याशित स्थितियों की घटना के परिणामस्वरूप, सीजीडी नेटवर्क की निर्धारित क्षमता बाधित होती है, ताकि प्राधिकृत संस्था निर्धारित मात्रा में गैस का परिवहन न कर सके।

ग. परिचालन या सुरक्षा कारणों के लिए कटौती। प्राधिकृत संस्था शिपर को डिलीवरी में कटौती कर सकती है यदि वह अपने विवेक से यह विचार करता है कि ऐसा करना आवश्यक है –

i. सीजीडी नेटवर्क के रखरखाव, प्रतिस्थापन, स्थापना या मरम्मत या प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु, परस्पर कनेक्शन, और जिला विनियमन स्टेशनों (डीपीआरएस) सहित संबद्ध सुविधाओं के लिए;

ii. नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क खंड या संबद्ध सुविधा जो शिपर को सेवाएं प्रदान करता है, को क्षति पहुंचाए जाने के कारण, जिससे कटौती की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

**(ग) आपातकाल में कटौती**

प्राधिकृत संस्था शिपर को डिलीवरी की कटौती कर सकती है यदि वह अपने विवेक से यह समझती है कि ऐसा करना आपातकाल के कारण आवश्यक है, जिससे कटौती की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

किसी आपातकाल स्थिति का अस्तित्व प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित किया जाएगा चाहे वह किसी भी आपात स्थिति के कारण हो या वह प्राधिकृत संस्था या किसी अन्य व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई हो।

आपातकालीन स्थिति में लागू होने वाली प्रक्रिया को पार्टियों के बीच पहुंच प्रबंधन और संचार प्रोटोकॉल में निर्धारित किया जाएगा।

**(घ) कटौती के लिए सेवाओं की प्राथमिकता**

प्राधिकृत संस्था अन्य शिपरों को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए शिपर की सेवाओं के प्रावधान को रोक सकती है। कटौती सीजीडी एक्सेस संहिता और अन्य अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

**अनुसूची-।।**

(विनियम 5(1) देखें)

**नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में क्षमता बुकिंग प्राप्त करने का प्रपत्र**

1. संस्था का नाम :

2. सीजीडी नेटवर्क का नाम :

3. प्रवेश बिंदु और प्रवेश बिंदु क्षमता का नाम (प्रत्येक प्रवेश बिंदु के लिए अलग से प्रस्तुत करें):

 (i) मात्रा की शर्तें

 (ii) ऊर्जा की शर्तें

4. निकास बिंदुओं का नाम और निकास बिंदु क्षमता (प्रत्येक निकास बिंदु के लिए अलग से प्रस्तुत करें)

 (i) मात्रा की शर्तें (सीएनजी निकास बिंदु के अलावा):

 (ii) ऊर्जा शर्तें (सीएनजी निकास बिंदु के अलावा):

 (iii) केजी में (सीएनजी निकास बिंदु के लिए):

5. प्रवेश बिंदु पर तकनीकी मापदंड:

 (i) दबाव की स्वीकार्य सीमा:

 (ii) तापमान की स्वीकार्य सीमा:

 (iii) सीवी की स्वीकार्य सीमा:

 (iv) अनुसूची-VI के अनुसार प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य सीमा

6. अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमता (संबद्ध और सहायक कंपनियों सहित) (एमएमबीटीयू में):

7. पहले से ही सामान्य वाहक या संविदा वाहक के तहत बुक की गई क्षमता (क्र.सं. 3 और 4 में विवरण सहित) :

8. सीजीडी नेटवर्क में शिपर्स को उपलब्ध क्षमता

## अनुसूची-III

(देखें विनियम 5(2))

**नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में क्षमता बुकिंग का प्रपत्र**

1. शिपर का नाम:

2. सीजीडी नेटवर्क का नाम:

3. प्रत्येक बिंदु पर प्रवेश बिंदु का नाम और प्रवेश बिंदु क्षमता आवश्यकता (एमएमबीटीयू में) का नाम:

4. प्रत्येक निकास बिंदु पर निकास बिंदु और निकास बिंदु क्षमता आवश्यकता (एमएमबीटीयू में) का नाम

5. प्रत्येक निकास बिंदु पर सीएनजी निकास बिंदुओं का नाम और क्षमता आवश्यकता (कि.ग्रा. में):

6. प्रवेश बिंदुओं पर गैस मापदंड (प्रत्येक प्रवेश बिंदु के लिए अलग से निर्दिष्ट किया जाना है):

   (क) दबाव की सीमा

   (ख) तापमान की सीमा

   (ग) सीवी की सीमा

   (घ) प्राकृतिक गैस जैसे $CO_2$, $N_2$, $O_2$ आदि में अन्य तत्वों के लिए अनुमानित सीमाएँ।

7. निकास बिंदुओं पर आवश्यक गैस मापदंड (प्रत्येक निकास बिंदु के लिए अलग से निर्दिष्ट किया जाए):

   (i) दबाव की स्वीकार्य सीमा

   (ii) तापमान की स्वीकार्य सीमा

   (iii) सीवी की स्वीकार्य सीमा

   (iv) प्राकृतिक गैस जैसे $CO_2$, $N_2$, $O_2$ आदि में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य सीमा।

8. प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि जिसके लिए क्षमता तक पहुँच की आवश्यकता होती है।

## अनुसूची-IV

(देखें विनियम 5(8))

**सामान्य वाहक या संविदा वाहक आधार पर क्षमता की बुकिंग के लिए वेबसाइट आधारित खुली पहुंच प्रणाली के लिए अनुदेश**

प्राधिकृत संस्था की वेबसाइट पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रवाह वेबसाइट आधारित ओपन एक्सेस प्रणाली के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो सामान्य वाहक या संविदा वाहक आधार पर क्षमता की बुकिंग के लिए लागू होंगे:

1. प्राधिकृत संस्था एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखेगी, जिस पर सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता की बुकिंग के लिए आवेदन-पत्र शिपर द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

2. प्राधिकृत संस्था की वेबसाइट सीजीडी क्षमता बुकिंग के रूप में सुलभ लिंक प्रदान करके क्षमता की बुकिंग की अनुमति दे सकती है- अभी आवेदन करें- नए शिपर/ मौजूदा शिपर।

3. नए शिपर के मामले में, क्षमता बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ केवाईएस दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसे शिपर द्वारा निर्धारित विवरण को विधिवत भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, आवेदन जमा करने की ईमेल पुष्टि के साथ एक विशिष्ट आवेदन संख्या उत्पन्न होगी।

4. यदि कोई मौजूदा शिपर क्षमता को बुक करना चाहता है, तो ऐसे शिपर को अपनी पंजीकृत आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा और सीजीडी नेटवर्क क्षमता बुकिंग के ऑनलाइन अनुरोध के लिए नए अनुरोध के लिंक पर जाना होगा। आवश्यक विवरण के साथ नए अनुरोध के लिए आवेदन फॉर्म भरने पर, मौजूदा शिपर को आवेदन जमा करने की ईमेल पुष्टि के साथ एक विशिष्ट आवेदन संख्या प्राप्त होगी।

5. नए शिपर से आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत संस्था यह आकलन करेगी कि उसका सीजीडी नेटवर्क अंतिम ग्राहक के वितरण बिंदु से जुड़ा है या नहीं। यदि सीजीडी नेटवर्क को वितरण बिंदु से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो उसे शिपर को सूचित किया जाना चाहिए।

6. यदि सीजीडी नेटवर्क को ग्राहक के वितरण बिंदु से जोड़ा जा सकता है, तो प्राधिकृत संस्था सत्यापित करेगी कि क्या शिपर के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए उसके नेटवर्क पर पर्याप्त सामान्य वाहक क्षमता उपलब्ध है या नहीं।

7. यदि पर्याप्त सामान्य वाहक क्षमता उपलब्ध है, तो आवेदन-पत्र पर पारदर्शी गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से आवश्यक ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष दिन के लिए प्राप्त क्षमता की बुकिंग उपलब्ध सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक क्षमता से अधिक है, जैसे सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता उन संस्थाओं को आवंटित की जाएगी जिनसे बुकिंग विनियम 5(4) के अनुसार प्राप्त हुई है।

8. एक्सेस के लिए निबंधन एवं शर्तें अनुसूची-I में दी गई पहुंच प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। एक बार क्षमता आवंटित हो जाने के बाद, शिपर को इन विनियमों के अनुसार उस क्षमता को एक्सेस करने की अनुमति दी जाएगी जो उसे आवंटित की गई है।

9. यदि उपलब्ध सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता नहीं है, तो आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे बंद कर दिया जाएगा।

10. सिस्टम द्वारा जेनरेट किया गया ईमेल सभी घटनाक्रमों को सूचित करने के लिए भेजा जाएगा।

## अनुसूची- V

*(देखें विनियम 5(9))*

**प्राधिकृत संस्था द्वारा सीजीडी नेटवर्क में बुकिंग और क्षमता के आवंटन के लिए आवेदनों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए प्रारूप**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीजीडी नेटवर्क में सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता की बुकिंग के लिए आवेदन करने के लिए आवंटित डॉकेट संख्या | |
| 2. | आवेदन प्राप्त होने की तिथि और समय | |
| 3. | प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किए गए आवेदन की प्राप्ति की तिथि और पुष्टि की तिथि | |
| 4. | प्रवेश और निकास बिंदुओं में से प्रत्येक में सीजीडी नेटवर्क की कुल क्षमता | |
| 5. | वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्राधिकृत संस्था द्वारा घोषित और बोर्ड को सूचित सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार की | |

| | | |
|---|---|---|
| | अपनी क्षमता आवश्यकताएं (संबद्ध और सहायक कंपनियों सहित) | |
| 6. | क्षमता की बुकिंग के लिए सीजीडी नेटवर्क आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पहले सभी प्रवेश/ निकास बिंदु पर (एमएमडीटीयू में) सीजीडी नेटवर्क में उपलब्ध सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता। | |
| 7. | सीजीडी नेटवर्क में प्रवेश/ निकास बिंदुओं में से प्रत्येक पर समयावधि में आवेदक को सीजीडी नेटवर्क आवंटित क्षमता तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस के इंजेक्शन बिंदु का विवरण यदि आवंटित क्षमता अनुरोध की गई क्षमता से कम है, तो उसके विशिष्ट कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए | |
| 8 | क्षमता की बुकिंग के लिए आवेदक संस्था के अनुरोध की स्वीकृति की सूचना भेजने की तिथि (विशिष्ट कारणों के प्रकटीकरण के साथ क्षमता के आंशिक आवंटन के मामले में) और नोटिस की प्राप्ति की पावती की तारीख। | |
| 9. | सीजीडी नेटवर्क में क्षमता की बुकिंग के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि | |
| 10 | प्रत्येक अनुबंधित क्षमता के बाद सीजीडी में उपलब्ध सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता | |
| 11. | संविदागत क्षमता की तुलना में डिलीवर की गई वास्तविक मात्रा | |

**अनुसूची-VI**

(देखें विनियम 8(1))

**नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर गैस मापदंड के लिए सीमा**

| **मापदंड** | **सीमा** |
|---|---|
| हाइड्रोकार्बन ओस बिंदु (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम) | 0 |
| पानी ओस बिंदु (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम) | 0 |
| हाइड्रोजन सल्फाइड (भारित अधिकतम द्वारा पीपीएम) | 5 |
| कुल सल्फर (भारित अधिकतम द्वारा पीपीएम) | 10 |
| कार्बन डाइऑक्साइड (मोल % अधिकतम) | 6 |
| कुल निष्क्रियता (मोल%) | 8 |
| तापमान (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम) | 55 |
| तापमान (डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम) | 10-20 |
| ऑक्सीजन (% मोल मात्रा अधिकतम) | 0.2 |
| घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वोबे इंडेक्स (एमजे/एससीएम पर आधारित) | 39-53 |

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./380/2020]

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2020

**F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(16)/2020 (P-2748).—**In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

**1. Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) **"access arrangement"** means a contract between the authorised entity and the shipper, complying with the provisions specified in Schedule-I and defining the terms and conditions for access to entry point capacity, exit point capacity and CNG exit point capacity on the city or local natural gas distribution network.

(b) **"Act"** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 Act, 2006 (19 of 2006);

(c) **"allocated capacity"** means the scheduled maximum daily capacity in MMBTU at entry point agreed between the authorised entity and the shipper for delivery at exit point or CNG exit point;

(d) **"Board"** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(e) **"CNG exit point"** means the point at which the CNG is off-taken from a CNG compressor outlet point for delivery to the shipper with proper arrangement for metering at outlet of the CNG compressor by the authorised entity:

Provided that the CNG exit point shall terminate at tubing connection or union where compressor exit is connected to dispenser and at filling nozzle in case it is connected to CNG cascade of the shipper;

(f) **"CNG exit point capacity"** means the maximum quantity of CNG for open access, which the authorised entity shall deliver to the shipper at the relevant CNG exit point in a day;

(g) **"CNG exit point maximum daily quantity or "CNG exit point MDQ"** means the maximum daily quantity of natural gas for which capacity has been allocated by the authorised entity to the shipper for open access, measured in kilogram (kg) which can be off-taken by the shipper at CNG exit point;

(h) **"day"** means a period of twenty-four consecutive hours beginning at 0600 hours on a day and ending at 0600 hours on the following day;

(i) "**designated exit point"** means the exit point for which gas delivery has been agreed between the shipper and the authorised entity on technical and safety ground;

(j) **"delivered quantity"** means the quantity of gas delivered by the authorised entity at designated exit point of the shipper;

(k) **"entry point"** means the point at which the natural gas delivered by a shipper is injected into the city or local natural gas distribution network;

Entry point may be at CGS or Sub-transmission pipeline (STPL) or any other point in the CGD network;

(l) **"entry point capacity"** means the maximum quantity of natural gas in MMBTU available for open access, which the authorised entity shall receive from shipper at the relevant entry point in a day so as to deliver at designated exit point;

(m) **"entry point maximum daily quantity" or "entry point MDQ"** means the maximum daily quantity of natural gas for which capacity has been allocated by the authorised entity to the shipper on open access basis at the relevant entry point as agreed in the access arrangement;

(n) **"exit point"** means the point at which the natural gas is off-taken from city or local natural gas distribution network by the shipper as agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement and such exit point shall be at all the metering stations, CNG exit point and all such other points agreed, on technical and safety ground, between the shipper and authorised entity in the access arrangement:

Provided that—

(i) for domestic piped natural gas (PNG), the exit point shall be the suraksha hose of the individual consumer for the purpose of custody transfer. For other purpose such as capacity determination of exit points, concerned DPRS shall be considered as exit point;

(ii) any new exit point shall be decided between the shipper and authorised entity on technical and safety ground;

(o) **“exit point capacity”** means the maximum quantity of natural gas in MMBTU available for open access up to which the authorised entity shall deliver to the shipper at the relevant exit point in a day;

(p) **“exit point maximum daily quantity” or “exit point MDQ”** means the maximum quantity of natural gas on open access basis up to which can be off-taken by the shipper at specific metering station and CNG exit point in a day;

(q) **“imbalance quantity”** on a day means the positive imbalance quantity or the negative imbalance quantity as specified in regulation 16;

(r) **“line pack” or “LP”** means the volume of gas that must be maintained in the city or local natural gas distribution network at all times in order to maintain pressure and enable uninterrupted transportation and supply of natural gas through the network;

(s) **“lost and unaccounted for gas” or “LUAG”** means the quantity of natural gas which is unaccounted for whatsoever reason including, but not limited to blow downs, venting or release during regular operation or maintenance of the city or local natural gas distribution network and mismatch of meter readings at the entry and exit point;

(t) **“marketeer”** means an entity dealing with marketing or trading of natural gas;

(u) **“marketing exclusivity period”** means the period of exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier as per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008;

(v) “**maximum daily quantity” (“MDQ”)** means the maximum quantity of natural gas, contracted, booked, scheduled for delivery in a particular day;

(w) **“maximum delivery rate” (“MDR”)** means the maximum per hour rate, up to which the authorised entity shall deliver natural gas to the shipper at the relevant exit point as specified in the access arrangement;

(x) **“maximum off-take rate” or “MOR”** means the maximum per hour rate, up to which the shipper shall off-take natural gas at the relevant exit point as specified in the access arrangement and MOR shall be the same in value as the MDR;

(y) **“maximum receipt rate” or “MRR”** means the maximum per hour rate, up to which the authorised entity shall receive natural gas at the relevant entry point as specified in the access arrangement;

(z) **“MMBTU”** means one Million British Thermal Units on the basis of Gross Calorific Value (GCV) and shall be the unit for energy content of natural gas as defined in ISO 6976;

(za) **“nominated quantity”** means the quantity of natural gas, confirmed by the shipper to the authorised entity for delivery at the designated entry point with details of off-takes at the relevant exit point on daily basis for distribution or for own use;

(zb) **“off-spec gas”** means the natural gas delivered by the shipper at the entry point or delivered by the an authorised entity at the exit point which does not conform to the gas parameters referred to in sub-regulation (1) of regulation 9;

(zc) **“operating pressure”** means the pressure corresponding to a particular flow rate at which the relevant section of the city or local natural gas distribution network is operated:

Provided that at no point of time the operating pressure for the network shall exceed the design pressure or maximum allowable operating pressure (MAOP) as specified in the relevant technical standards and specifications including safety standards regulations;

(zd) **“scheduled quantity”** means the quantity of natural gas, scheduled for a shipper by the authorised entity at the designated entry point or exit point for distribution or own requirement based on the nominated capacity and in accordance with the provisions of the access arrangement;

(ze) **“shipper”** means a consumer or a marketeer or any other entity who intends to utilise the capacity in the CGD Network;

(zf) **“Standard Cubic Meter” or “SCM”** shall mean the quantity of Gas that occupies a volume of one (1) cubic meter at a temperature of fifteen Celsius (15°C) under an absolute pressure of one decimal zero one three two five bar (1.01325 Bar);

(zg) **“system use gas” or “SUG”** means the quantity of natural gas, used by the authorised entity for operation and maintenance of the city or local natural gas distribution network including, but not limited to, general use of gas for compressors, prime movers, gas heaters and venting or flaring for safety requirements;

(zh) **“Unit of Measurement”** means unit for measurement of quantity of gas. Unit of measurement shall be in million British Thermal Units (MMBTU);

Provided that CNG exit point quantity shall be measured in kilogram (kgm) but shall be converted into MMBTU for the purpose of natural gas quantity reconciliation;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or the rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Rules or Regulations, as the case may be.

**3. Application:**

These regulations shall apply to an authorised entity in a geographic area and to any shipper who intends to utilise the capacity in the CGD Network in that geographical area:

Provided that an authorized Geographical Area has been declared as common carrier or contract carrier in terms of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020 and Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008.

Provided further that—

(a) the authorised entity shall allow access to shippers on non- discriminatory basis to a city or local natural gas distribution network in an authorised area;

(b) the development of the infrastructure shall be governed by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the shippers shall get their gas transported or delivered by the authorized entity—

(i) up to the suraksha hose connecting to the burner of the domestic connections;

(ii) up to the metering point in case of commercial and industrial connections;

(iii) up to compressor exit point in case of CNG stations:

Provided also that—

(i) the authorised entity shall maintain its entire assets up to suraksha hose for all times in conformity with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications Including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;

(ii) the metering point means the location where gas measurement is carried out which will include metering device, equipment and pressure reduction up to desired pressure at exit point; and

(iii) compressor exit point shall include the filling nozzle and CNG measurement facilities.

**4. Capacity declaration:**

(1) Authorised entity shall, within ninety days of declaration of its CGD network as common carrier or contract carrier, determine in accordance with applicable regulations and declare by publishing on its website the entry point capacity, the exit point capacity, the CNG exit point capacity for open access at all entry points and exit points and the capacity at DPRS level for PNG and capacity at mother and online stations (Cascade filling capacity) for CNG in accordance with the provisions of applicable regulations.

(2) The capacity in a CGD network for open access on a cumulative basis at all entry points shall be at least twenty percent of the capacity of the CGD network and compression capacity or the maximum quantity of gas that has flowed in the CGD network or through compressors even for a period of one day in the past, whichever is higher. If such open access capacity in the CGD network falls below ten percent, the authorised entity shall increase the capacity of the CGD network so as to restore the open access capacity to at least twenty percent within a period of six months from the date it has fallen below ten percent.

(3) The Board may on a suo motu basis and notwithstanding the provisions of sub-regulation (2) but after following the due process of public consultation, may by order direct an authorised entity to expand the capacity of the CGD network within such period and on terms and conditions as it may deem fit.

(4) An authorised entity shall not utilise open access capacity in its CGD network for ownrequirement except with respect to such part of extra capacity for which booking has not been received from any shipper for a consecutive period of ninety days.

Provided that authorised entity shall vacate the common carrier capacity, being used by it for own requirement, within thirty days from receipt of capacity booking request fromany shipper.

**5. Capacity booking**:

(1) The authorised entity shall, within twenty-one days of declaration of its city or local natural gas distribution network as common carrier or contract carrier, publish information in the format specified in Schedule-II on its website and a short advertisement referring to such publication on its website in a national daily and a vernacular daily newspaper, seeking capacity booking for the entry points and exit points capacity on its CGD network and thereafter take similar action within twenty-one days as and when extra capacity is available in its CGD network.

(2) Interested shippers shall submit in the format specified in Schedule-III, their offers to the authorised entity for booking the capacity ("MDQ") within ninety days from the date of publication of the public notice seeking capacity booking.

(3) The sum of the requested entry points MDQ by any shipper shall not be less than 500 MMBTU per day and the off-take at any exit point shall not be less than 50 MMBTU per day.

Provided that the shipper and the authorised entity may agree in the access arrangement to achieve the booked quantities over an agreed period.

(4) The allotment of capacity shall be decided by the authorised entity in a transparent and non-discriminatory manner. If the available common carrier capacity is more than total booking requests from all the shippers then the requested capacity shall be allotted to each of the shippers. However, in cases where the total booking requests for a particular day is more than the available common carrier capacity, such common carrier capacity shall be allotted to the shippers based on the highness of the product of the sum of the entry points MDQ and the period of capacity booking.

(5) Capacity booking shall be finalised by the authorised entity within thirty days from the end of the period specified under sub-regulation 2.

(6) The authorised entity shall publish information on entry points capacity, exit points capacity, DPRS capacity and CNG exit points capacity for open access of the city or local natural gas distribution network on its website by fifteenth day of each month for the succeeding month on a continuous basis and shall schedule the process of capacity booking in such a manner that the capacity can be utilised effectively from the first working day of every month. Such data may be verified by the Board at any time and on such intervals as may be decided by the Board from time to time.

(7) Capacity booking shall be finalised in terms of entry points MDQ and exit points MDQ and other relevant terms and conditions through an access arrangement.

(8) An authorised entity whose CGD network has been declared as a common carrier or contract carrier shall establish within ninety days of such declaration, a portal for receiving offers for booking common carrier or contract carrier capacity and allotting the capacity against such offers. The entire process of receipt of applications, allotment and maintaining the records shall be made in an open, transparent and non-discriminatory manner and shall be available for verification by the Board at any time. The process flow that would be followed on such portal shall conform to the perticulars specified in Schedule-IV.

(9) The relevant authorised entity shall accept application in a transparent manner requesting capacity booking and make allotment of such capacity online on its website and maintain an online record of the applications received and allotments made as specified in Schedule-V and also publish such information on its website.

**6. Provision of Access to third party shipper CNG or L-CNG stations:**

An authorised entity whose CGD network has been declared as a common carrier, shall provide access to the third party shipper for CNG or L-CNG station within the authorised area of its CGD network on non-discriminatory basis. If the existing compressor is unable to meet the requirements of the third party shipper within the limits of common carrier capacity, then such third party shipper may request the authorised CGD entity to install additional compression facilities to meet the requirements subject to technical feasibility. In case the authorised entity is unable to install the additional compression facilities due to technical constraints,

the authorised CGD entity shall accordingly inform the third-party shipper in writing along with the reasons within a period of forty-five days from the date of request for such additional compressor facilities.

Explanation: In the interest of creation of additional infrastructure, CNG or L-CNG stations existing on the date of notification of these regulations run by dealers and franchises of authorised entities (including CNG or L-CNG stations run by companies engaged in retailing of liquid petroleum products on their retail outlets) shall not be considered as third party shipper for the purpose of allowing access in CNG or LCNG stations.

**7. Obligations of shippers and authorised entity:**

(1) Authorised entity shall be responsible to comply with all the applicable regulations and guidelines issued by the Board from time to time from receipt of gas to the delivery point.

(2) Authorised entity shall receive the gas from the shipper at the agreed entry point, transport the gas through its CGD network and shall deliver the gas at the agreed exit point.

(3) Authorised entity shall be responsible for the overall management of its CGD network and related services.

(4) Authorised entity shall act as supplier of the last resort for the domestic customers in case of any default by the shipper.

(5) Shipper shall be responsible for compliance with all the applicable regulations for the CGD network before the gas receipt by the authorised entity and after gas is delivered to the shipper.

(6) Shipper shall deliver gas at the agreed entry point and receive the gas at the agreed exit point.

(7) Shipper shall ensure that the gas delivered by it at the entry point conforms to the parameters specified in regulation 8.

(8) Shipper shall pay all dues and provide such guarantee, surety and security to the authorised entity as may reasonably be required to meet its commercial obligations under the access arrangement.

(9) Shipper shall be responsible for billing and collection of dues from its customers. Meter reading shall be the responsibility of the authorised entity, except for PNG domestic consumers which shall be the responsibility of the shipper. Shipper shall also be responsible for any complaints from its customers in relation to billing and collection as per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010.

(10) Both authorised entity and shipper shall comply with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010.

**8. Gas parameters:**

(1) The authorised entity shall, on a non-discriminatory basis, specify the threshold limits for gas parameters at the entry point, such as the acceptable ranges of pressure, temperature and calorific value and the acceptable threshold limits for other elements in gas, such as carbon dioxide ($CO_2$), nitrogen ($N_2$) and oxygen ($O_2$) in the access arrangement:

Provided that the aforesaid ranges or the threshold limits shall be in conformity with those specified in Schedule-VI.

Provided further that in case the CGD network has been established largely based on Coal Bed Methane (CBM) gas, or Coal Mine Methane (CMM) gas from open cast mining, the Board may on an application from the authorised entity allow deviation from the specifications given in Schedule-VI.

(2) If the gas delivered by the shipper at the entry points does not meet the requirements of gas parameters as specified in the access arrangement and as specified in these regulations, the authorised entity may—

(a) refuse to accept it; or

(b) accept it and charge as per the access arrangement on a non-discriminatory basis, a cost of service ("off-spec gas charges") from the shipper, as per the access arrangement, for any additional facilities or treatment for upgrading the gas to the network requirements:

Provided that such off-spec gas does not adversely affect the quality-specifications committed by the authorised entity at the exit points to the existing customers.

(3) The authorised entity may deliver commingled gas at the exit points, and the quality of gas at the exit points shall be within the acceptable band agreed in the access arrangement.

(4) The authorised entity shall odourise the entire gas as per the provisions of relevant standards notified by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board before delivering to the shipper.

**9. Facilities at the entry points and exit points:**

(1) The shipper shall arrange to deliver natural gas at the entry points. The authorised entity shall provide facilities for transfer of custody and delivery of natural gas at the entry points at the cost of the shipper, including measuring equipment:

Provided that the shipper may install its check meter at the entry points at its own cost in case it desires so.

(2) The shipper shall provide ready access to the authorized entity for the measuring equipment wherever installed by the authorizes entity in the premise of the shipper.

(3) The authorised entity shall provide CGD network and CNG compression facility to shipper in consideration of payment of transportation rates for CGD and transportation rate for CNG determined in accordance with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG) Regulations, 2020.

(4) The authorised entity shall provide at its own cost facilities, including measuring equipment, pressure reduction and control facilities, gas chromatography or any other system as agreed between the authorised entity and the shipper, required for transfer of custody and delivery of natural gas to the shipper at all the exit points.

Provided that the shipper may install its check meter at the exit points at its own cost in case it desires so.

(5) The maintenance of the facilities at the entry points and exit points shall respectively be carried out by the shipper and the authorised entity unless otherwise agreed in the access arrangement.

**10. Nomination, scheduling, metering, allocation and billing:**

(1) The nomination, scheduling, metering, allocation and billing procedure shall be specified in the access arrangement and the shipper shall nominate the quantity for the following day by 10:00 hours of the previous day and for weekly nomination by 10:00 hours on Friday of the previous week. The nomination and scheduling for each entry point and exit point shall be made for each hour of the following day on a best endeavor basis for system operation purpose.

(2) The authorised entity shall regularly measure the quality of gas by the gas chromatograph unless otherwise agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement.

(3) Total error limit and accuracy of the measuring equipment shall be as agreed to between the authorised entity and the shipper subject to any mandatory specifications, if any, laid down by the Board through regulations.

(4) The authorised entity shall carry out verification, calibration or proving of measuring equipment as per relevant codes and standards.

**11. Gas accounting and reconciliation:**

(1) Gas accounting shall be done on a daily basis in energy terms, that is in MMBTU, and shall be based on Gross Calorific Value as defined in ISO 6976-1:1983(E) as amended or modified from time to time:

Provided that—

(a) the daily gas delivered at the relevant entry points shall be directly measured through system as agreed between the authorised entity and the shipper;

(b) for industrial and commercial customers, the daily off-take at the relevant exit points shall be measured through system as agreed between the authorised entity and the shipper;

(c) for PNG domestic customers, the daily off-take for gas accounting shall be assumed based on the average consumption of gas by the relevant PNG domestic customers and reconciliation shall be done within seven days of the end of every billing cycle as per the methodology agreed in access arrangement;

(d) for CNG, the daily off-take of gas shall be measured in kilogram (kgm) on the meter at the outlet of the online compressor and shall be converted to MMBTU for gas accounting based on the average quality parameters of the gas in the network on the relevant day, measured at CGS in the event gas quality measurement are not available at CNG station. It may be possible that gas chromatograph is not available at every CNG station. Gas quality at the point of chromatography shall be assumed to be same in that particular zone of the network and gas quality parameters shall be considered for CNG station accordingly.

(2) The detailed measurement and gas accounting procedure shall be specified in the access arrangement.

**12. Charges:**

(1) The shipper shall pay to the authorised entity the following charges for using its CGD network or compression facility and availing other services, namely:–

(a) "transportation rate for CGD" in accordance with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG) Regulations, 2020;

(b) "transportation rate for CNG" in accordance with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG) Regulations, 2020;

(c) overrun charges, if applicable;

(d) system imbalance charges, if applicable;

(e) off-spec gas charges, if applicable, as agreed in access arrangement;

(f) applicable taxes and duties;

(g) any other charges in the access arrangement such as—

i. ship or pay;

ii. transport or pay;

iii. technical upgradation of system, if such service has been specifically requested by shipper;

iv. R&D, if such service has been specifically requested by shipper;

(h) any other charges as approved by the Board from time to time.

Charges specified in clauses (c) to (g) shall be in accordance with provisions of Schedule-I and charges given in regulations 14, 15 and 16.

**13. Authorised entity's shortfall charges:**

The authorised entity shall have an obligation to provide capacity to the shipper up to the scheduled quantity unless there is a planned maintenance as specified in regulation 19 or a *force majeure* as specified in regulation 20 or an emergency as specified in regulation 21.

**14. Overrun charges:**

(1) The methodology for calculation of the overrun quantity for a shipper at each entry point, in MMBTU, on a day shall be specified in the access arrangement on a non-discriminatory manner.

(2) The shippers shall not have to pay any overrun charges for overruns up to five percent of the scheduled quantity. Overruns beyond five percent of the scheduled quantity shall attract overrun charges.

(3) Overrun charges for overruns greater than five percent of the scheduled quantity shall be reasonable, transparent and non-discriminatory and shall be specified in the access arrangement.

(4) Overrun charges payable by the shipper in respect of a day shall be equal to the sum of the overrun charges payable in respect of each entry point on that day.

**15. System imbalance charges:**

(1) Positive imbalance quantity on a day, in MMBTU, shall be the excess of the aggregate of the shipper's quantities delivered at all the entry points over the aggregate of the shipper's quantities off-taken at all the exit points.

(2) Negative imbalance quantity on a day, in MMBTU, shall be the excess of the aggregate of the shipper's off-taken quantities at all the exit points over the aggregate of the shipper's delivered quantities at the all entry points.

(3) The cumulative imbalance at the start of a day shall be equal to the cumulative imbalance at the end of the previous day. At the start of the first day when natural gas is delivered by the shipper, the cumulative imbalance shall be zero.

(4) The cumulative imbalance at the end of a day shall be equal to the sum of the cumulative imbalance at the start of the day and the imbalance for the day.

(5) The shipper shall not have to pay any imbalance charges up to a cumulative positive or negative imbalance of five percent of sum of MDQ at all the entry points. Authorised entity shall notify the

imbalance quantity to shipper on daily basis so as to provide an opportunity to shipper to cure imbalances while submitting nominated quantity for subsequent period.

Provided that where the shipper is unable to cure such imbalances in a period of fifteen days, then, the authorised entity shall have the right to adjust daily nomination at the entry points and exit points to cure such imbalances to ensure safety and integrity of the CGD network.

Imbalance charge for cumulative positive imbalance and cumulative negative imbalance in excess of these limits shall be reasonable, transparent and non-discriminatory.

(6) The imbalance charges payable by the shipper for any particular day shall be equal to the product of the cumulative imbalance quantity calculated as stipulated in sub-regulation 4 and the imbalance charge per MMBTU specified in the access arrangement.

(7) The daily imbalance gas quantities shall be settled between the shipper and the authorised entity every fortnight considering actual daily metered amounts for industrial, commercial and CNG segments and assuming a mutually agreed daily consumption quantity of gas for domestic segment; the methodology for the settlement shall be specified in the access arrangement. The reconciliation with actual metered quantity for the domestic segment shall be as agreed in the access arrangement between the shipper and the authorised entity.

(8) Maintenance of escrow account

(a) There shall be established an escrow account to be maintained by the Board from the date of the commencement of these regulations, in which there shall be credited all charges received by the authorised entity on account of imbalances and overruns.

(b) The authorised entity shall raise a separate invoice towards imbalance and overrun charges, including applicable taxes and levies. The authorised entity shall deposit the taxes and levies with the concerned authorities.

(c) The authorised entity shall make all reasonable efforts for recovering the imbalance and overruns charges referred to in sub-regulation 6 from the shipper within the period it allows shipper to pay its transportation charges.

(d) The authorised entity shall deposit the amounts received by it from the shipper on account of the charges referred to in sub-regulation 6 (excluding taxes and levies) into the escrow account maintained by the Board within a period of fifteen days from the end of the calendar quarter during which such amounts were received by it along with such details thereof as the Board may require from time to time.

Provided that the authorised entity is not allowed to retain or deduct any amount (except for taxes and levies) received by it except the claim approved by the Board under clause (h).

(e) The authorised entity shall submit to the Board month-wise, Geographical Area-wise and shipper-wise details of such charges as are recoverable from each shipper, amounts received from the shippers and the amounts due from shippers and its reconciliation with the amount deposited in accordance with provisions of clause (d), quarterly within a period of sixty days from the end of each quarter along with a certificate from a Chartered Accountant certifying such details and further, at the end of each financial year, an annual certificate containing the said details shall be submitted by the authorised entity to the Board along with the certificate for the fourth quarter.

(f) The authorised entity may claim from the escrow account maintained by the Board the amounts incurred by it towards its contractual obligations with reference to supply or pay and system management of the CGD network due to such imbalances created by the shippers:

Provided that such claim shall not exceed the amount deposited by him in the escrow account.

(g) The claim under clause (d) may be submitted annually by the authorised entity to the Board within 60 days of the end of each financial year with details such as details of amounts incurred by it, its bank account details, Permanent Account Number and detailed rationale of such claim, along with a certificate from a Chartered Accountant certifying such details.

(h) The Board shall consider such claims on merits and may seek such further information as it may deem fit and the Board shall communicate the amount of claim approved to the authorised entity within 60 days from receipt of complete information, which may be deducted by the authorised entity from the subsequent deposits to be made by it into the escrow account only after specific written approval by the Board.

(i) The balance amount available in the escrow account, after the eligible withdrawal by the authorised entity, under clause (h) may be utilised in such a manner and for such purposes as may be specified by the Board.

**16. Hourly delivery, off-take and receipt rates:**

(1) The MDR, MOR and the MRR, as well as the authorised deviations from the hourly scheduled rates for which the shipper shall not have to pay any charges, shall be specified in the access arrangement.

(2) The charges for deviations in hourly delivery and off-take rates that exceed these limits shall be specified in the access arrangement:

Provided that the shipper shall not be required to pay any charges for deviations in hourly delivery and off-take rates that exceed the limits specified in the access arrangement for the first sixty days of commencement of its access to the entry and exit points capacity on the CGD network if the shipper has booked capacity under regulation 5.

**17. System Use Gas (SUG), Lost and Unaccounted for Gas (LUAG):**

The authorised entity shall absorb SUG and LUAG, if any, and shall not pass on any liability on this account to the shipper:

Provided that the authorised entity shall be free to arrange the SUG and LUAG from any source.

**18. Line Pack (LP):**

The authorised entity shall arrange and absorb the LP on its own and shall not pass on any liability on this account to the shipper.

**19. Planned maintenance:**

(1) The authorised entity shall intimate to the shipper on non-discriminatory basis of its maintenance plan for a defined period well ahead of time, as agreed in the access arrangement, identifying those entry and exit points where natural gas flows may be restricted by such maintenance, the extent of the restrictions and the time of occurrence. The authorised entity shall plan such maintenance so as to minimise disruption to regular gas supply.

(2) The planned maintenance shut down period for any customer, in all the segments, except domestic PNG, shall not exceed the cumulative period of ten days in any calendar year. The service obligations specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and other relevant regulations shall prevail in respect of domestic PNG customers.

**20. Force majeure:**

Force majeure shall be governed by the contract between the authorised entity and shipper.

**21. Operating procedures and emergencies:**

(1) The operating procedures to be followed by the authorised entity and the shipper during regular operations as well as in the event of an emergency shall be included in the access arrangement.

(2) An emergency may exist—

(a) by reason of a leakage, or a suspected leakage, of gas; or

(b) in following circumstances, namely:—

(i) the safety of the network is at risk;

(ii) the safe conveyance of gas through the network is at risk;

(iii) gas conveyed by the network is at such a pressure or of such a quality as to constitute, when supplied to the customer's premises, a danger to life or property; or

(iv) any other circumstances reasonably believed by the authorised entity to constitute an emergency which, for the avoidance of doubt, may include circumstances upstream of an entry point, and, where the context requires, a reference to an emergency includes the event or circumstance which may give rise to such emergency.

(3) The authorised entity shall take steps to restore normal operations of the network as soon as reasonably possible after an emergency. Restoration of services to the various customer segments in case of emergencies or disruptions or interruptions in the CGD network shall be carried out in the following order

of priority, namely:—

(a) domestic PNG customers;

(b) essential services, like hospitals, clinics, milk supplies;

(c) CNG customers;

(d) Others.

**22. Confidentiality of information:**

All documentation, information, data, submissions, comments, etc. disclosed, delivered or exchanged whether in writing or otherwise by or between any entity, authorised entity, shipper or any other party either in connection with or in consequence of the requirements of these regulations shall be regarded and treated as confidential and shall not be disclosed either in full or part, including the contents and copies thereof in any form except in connection with any proceedings in any court, Board or other regulatory authorities, or as may be required under any law, unless such documentation, information, data, submissions, comments, etc. is already in public domain.

**23. Miscellaneous:**

(1) The Board shall have power to issue clarifications with regard to these regulations and in case of any dispute, the clarification given by the Board shall be final and binding.

(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

**24. Repeal:**

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011 shall stand repealed, except as respect things done or omitted to be done under so repealed regulations.

**Schedule-I**

**Provisions for Access Arrangement**

(See regulation 2(1)(a))

**1.0 Access arrangement provisions.**

This schedule specifies the provisions which shall be complied by the authorised entity while formulating its standardised access arrangement with shippers, in addition to the other requirements of these regulations. Authorised entity shall publish its standard format of such arrangement on its website within forty-five days of declaration of its CGD network as common carrier or contract carrier.

**2.0 Services.**

The access arrangement shall contain the following services to be provided by the authorised entity to the shipper:—

(a) Receipt of gas at entry point;

(b) Transportation of gas from entry point to exit point;

(c) Delivery of gas at exit point;

(d) Measurement of gas quantity, quality, pressure, temperature and any other parameter for the purpose of metering, billing, operational and safety requirements of CGD network;

(e) Maintenance of city or local natural gas distribution network including all associated material, equipment and devices installed to service the customers;

(f) Managing shipper's gas inventory in the CGD network.

Authorised entity may provide such other services to shipper as may be requested in writing by the shipper and agreed to between authorised entity and shipper in relation to the CGD network.

**3.0 'Know Your Shipper' submission to authorised entity and guarantees.**

a) Shipper shall be required to submit the 'Know Your Shipper ("KYS") information to the authorised entity, as may be reasonably required by him, for establishing the authenticity of the shipper. However, this process shall be dispensed with in respect of an existing authorised entity for any CGD network, provided such authorisation has not been terminated or cancelled by the Board. The KYS process may be completed before submission of application by the shipper requesting capacity booking. Unless

shipper's KYS has already been submitted by him and accepted previously by the authorised entity, authorised entity shall ask the shipper to submit such information at the time of capacity booking. The process of KYS shall be completed within a period of fifteen days from the date of initiation thereof.

(b) Shipper shall provide and maintain payment guarantees equivalent to sixty days maximum daily quantity (MDQ) to the authorised entity in form of irrevocable revolving unconditional standby letter of credit or any other instrument as per mutual agreement. In case of gas supply to domestic consumers, the shipper shall provide payment security of forty-five days of average gas consumption in the form of mutually agreed financial instrument in order to avoid any disconnection of supply to this segment in case of failure to supply gas by the shipper.

**4.0 Obligations of shipper and authorised entity.**

Obligations of the shipper and authorised entity shall include those specified in regulation 7.

**5.0 Facilities at the entry point and exit point.**

(a) The access arrangement shall list out the facilities to be provided by the authorised entity to the shipper.

(b) The access arrangement shall indicate if the authorised entity or the shipper owns, maintains and operates all facilities at the entry point and exit point.

(c) Authorised entity shall have reasonable access as per regulation 9 for implementing the provisions of the access arrangement and other relevant notified regulations under the Act. The shipper, upon reasonable notice may inspect entry point and exit point facilities of the authorised entity at its own costs.

(d) Authorised entity and shipper shall preferably adhere to the standard time of 0600 hrs, followed by the industry, for the purpose of measurement at the respective locations.

(e) The maintenance of the facilities, whether owned by the shipper or by the authorised entity, shall be done periodically in accordance with the relevant provisions of regulation 20 and other relevant regulations notified under the Act.

(f) The charges for additional facilities as may be required either by shipper or by authorised entity, including automation at entry point or exit point, shall be borne by the party which requires such facilities.

(g) In case of proven acts of pilferage or misconduct by the shipper or shipper's customers, the authorised entity shall have the right to suspend or disconnect the supply of natural gas under intimation to the shipper citing valid reasons for the same. The shipper shall thereafter ensure that the gas reconciliation differences are paid to the authorised entity before reinstating the supply of gas.

**6.0 Service obligations.**

**(a) Metering.**

The rights, interest, covenants and obligations of shipper and authorised entity in respect of the measurement and analysis of gas transported in city or local natural gas distribution network by authorised entity shall be as set out in authorised entities code of practice for metering.

Code of practice of the authorised entities for metering shall comply with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for quality of Service for city or local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical standard and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and all other laws and regulations. The authorised entity shall provide metering facilities at entry point at the cost of shipper or as agreed in the access arrangement. The measuring equipment shall be installed and maintained by authorised entity to measure the quantity of gas—

i. received into CGD network at each entry point; and

ii. delivered through each exit point.

Authorised entity shall make provision for the measurement of quality of gas at each entry point or use the facility provided by the upstream pipeline service provider or gas supplier.

In case of any dispute on the quality of gas at the exit point, measure the same through mutually acceptable methodology.

In case the shipper complains of any fault in the meter of authorised entity, the expenses on checking the fault and correcting the same shall be borne by the authorised entity if any fault is found during checking, otherwise such expenses shall be borne by the shipper.

The design of the metering facility shall comply with all applicable laws and regulations as well as with authorised entity's code of practice for metering.

**(b) Alternative ownership of measuring equipment.**

Alternative ownership of the measuring equipment, if required, shall be mutually agreed between authorised entity and the shipper in the access arrangement. Authorised entity may, where necessary, undertake checks on the measuring equipment owned by shippers.

**(c) Validation and calibration.**

The process and procedure for the validation and calibration to be carried out on the measuring equipment shall be in accordance with the authorised entity's code of practice for metering.

The party responsible for the operation and maintenance of measuring equipment shall validate and calibrate such equipment at its own expense as and when deemed necessary and as may be prescribed in authorised entity's code of practice for metering.

Before carrying out validation or calibration, as the case may be, on its measuring equipment, authorised entity shall invite relevant shippers to witness the process. However, such validation or calibration shall not be stopped or withheld or postponed due to non-availability of the shipper.

In the event there is a dispute on the result of the validation or calibration of measuring equipment, the shipper shall notify the authorised entity within seven days from the date of validation.

Authorised entity may instruct an independent expert to verify the validation. If the expert finds the validation to be accurate, then, the shipper shall bear the cost of said verification by the independent expert. In case, the validation of measuring equipment is found inaccurate, the authorised entity shall not only bear the entire cost of the exercise but shall also compensate the shipper towards losses to the extent of error from the date of dispute), if any, arising due to faulty measurement in the next billing cycle.

**(d) Operation and maintenance of the measuring equipment**.

Entity owning the measuring instrument shall be responsible for the operation and maintenance of all measuring equipment in accordance with the code of practice for metering of the authorised entity. However, in case of entry point and in case of industrial and commercial customers, wherein the cost of measuring equipment is borne by the shipper, the authorised entity shall charge for the installation, operation and maintenance (including necessary replacements if any) of the measurement facility as per mutual agreement.

**7.0 Gas quality.**

**(a) Gas specification and pressure.**

All gas delivered or to be delivered by shipper at entry point for distribution through city or local natural gas distribution network by authorised entity shall confirm to gas parameters as per regulations.

All gas entering CGD network shall be within the range of CGD operating pressure and temperature.

**(b) Off-specification gas.**

(i) In the event that gas to be delivered at any entry point does not comply with gas specification as per Schedule-VI (Off-specification gas), shipper shall inform authorised entity promptly of a deviation from gas specification.

(ii) Authorised entity shall have the right to refuse off-specification gas at entry point, but otherwise may accept such off-specification gas.

(iii) If gas received at entry point is off-specification gas, authorised entity shall have the right to suspend (completely or partially) receipt of gas from shipper with immediate effect until authorised entity is satisfied that gas which shipper is able to deliver to city or local natural gas distribution network is within gas specification.

(iv) Notwithstanding the above, in the event off-specification gas has entered into CGD network either by one or more shipper or authorised entity, authorised entity may make enquires to other shippers as to whether the shippers or its end-user and customer is willing to accept the off-specification gas.

(v) Such Shippers shall use reasonable endeavour to accept or may refuse to take delivery of off-specification gas at exit point.

(vi) Authorised entity may dispose of off-specification gas that has entered into CGD network if it is unsafe for the integrity of the network, in a manner deemed fit by authorised entity, in order to protect CGD network and other facilities.

(vii) The cost incurred to manage the off-specification gas shall be borne by shipper who injected such gas into CGD network. The off-specification gas charges so determined by the authorised entity shall be cost neutral.

**8.0 System integrity, discipline and grid management.**

**(a) Nomination.**

(i) Shipper shall notify authorised entity about quantities of gas which shipper intends to deliver at each entry point and receive at each exit point of the CGD network on a day (D).

(ii) Shipper may also re-submit nomination on the day, in case, there be any changes to shipper's gas delivery requirements (intra-day nomination) and the same may be considered by the authorised entity on reasonable endeavour basis.

(iii) Shipper shall comply with detailed nomination procedure which is as per the access arrangement. A nomination shall—

A. specify day or days to which it relates;

B. specify nominated quantity;

C. identify the end-user which shall off-take the corresponding quantity of gas from the CGD network; and

D. specify the entry point and exit point.

(iv) In addition to the above, shipper needs to provide annual estimates and weekly nomination in line with authorised entity's operating practice.

(v) In the long term, the nomination process shall be as flexible for shippers as is physically possible. There shall be a balance in the principle of flexibility against the cost of introducing new nomination procedures (both in terms of initial systems and set-up costs and any increase in on-going administrative costs or complexity).

**(b) Allocation and scheduling.**

Allocation is a mathematical arrangement whereby authorised entity allocates capacity to each shipper in a CGD network to transport natural gas from a single or a combination of entry point to a single or combination of exit points and schedule the proper share of the quantity of gas measured from the relevant entry point or exit point.

**(i) Allocation process.**

Authorised entity shall allocate entry point capacity and exit point capacity among shippers measured in Million British Thermal Unit (MMBTU).

**(ii) Scheduling process.**

Authorised entity shall allocate entry point quantities, based on the actual quantity of gas received at the entry point for the shipper and exit point quantities, among shippers after actual gas transport day.

Shipper acknowledges that receipt of gas at entry point or delivery of gas at exit point may not exactly match the nomination of intra-day nomination made in respect of it and consequently under delivers and over delivers of gas may occur.

All of entry quantity at entry point and exit quantity at each exit point shall be allocated to shippers regardless of the reason for any such under delivers or over delivers with respect to nominations.

**(iii) Allocation and scheduling data.**

Authorised entity shall process the data and inform shippers; allocated quantity including overrun, variance and imbalance. Authorised entity shall not disclose such data to other shippers.

Under normal operations, the allocated data shall be based on confirmed nomination, but when capacity curtailment occurs, the allocated data shall be based on the confirmed curtailment quantity imposed by authorised entity.

Authorised entity shall make available the data to relevant shipper on a daily basis.

**(iv) Calculation of Scheduled quantity.**

Scheduled exit quantity shall be calculated by authorised entity in accordance with the regulation 5 (4).

**(c) Over-runs.**

**(i) Overruns philosophy and principles.**

An overrun occurs when a shipper takes gas transportation quantities in excess of scheduled capacity. All overruns shall be treated as unauthorised and attract unauthorised overrun charges except the overruns authorised in advance if they cause no operational constraints for the authorised entity, e.g. if a shipper requested excess gas transportation quantities for a day, the authorised entity shall authorise the shipper to take such quantities if sufficient capacity were available.

The price of transporting the authorised overrun quantity shall be set beforehand at a rate that shall be—

A. high enough, but not more than one point five times the regulated applicable charges so that shippers are not incentivised to rely on overrun service, rather than contracting for firm transmission service; but

B. not so high as to be economically inefficient.

The above shall be applied on a uniform, transparent and non -discriminatory basis by the authorised entity.

However, unauthorised overruns shall carry unauthorised overrun charges. Penalising shippers that flow an unauthorised overrun helps to ensure that the market for capacity rights is not disrupted by routine violation of transportation rights.

Capacity overruns, whether authorised or unauthorised, shall in general be discouraged because—

(i) the ability to obtain capacity at short notice from the authorised entity at non penal prices shall tend to underline the value of holding firm capacity rights; and

(ii) Overruns may impose costs, and therefore shippers shall not rely on the use of overruns.

Following principles need to be followed between authorised entity and shippers, namely:—

(a) no charges up to overrun of five per cent of the allocated quantity;

(b) unauthorised capacity overruns attract a significant charge;

(c) when there is spare physical capacity on the network, capacity overruns are authorised by the authorised entity (so long as it imposes no operational constraints and is on best endeavour basis) for a period of one day at a time;

(d) capacity overruns shall not be authorised when there is a shortage of physical capacity; and

(e) authorised capacity overruns are priced so as to discourage shippers from persistently seeking authorisation rather than purchasing capacity in secondary market when such trading is allowed.

**(ii) Unauthorised overrun charges.**

Shipper must ensure that quantities of gas received at entry point and delivered at exit point in any day do not exceed the maximum daily quantity of the transportation path.

Unauthorised overrun charges = unauthorised overrun quantity x unauthorised overrun rate

Unauthorised overrun rate = two hundred per cent. X applicable charge

Unauthorised overrun charges shall be calculated independently for each entry and exit point and aggregated.

**(d) Balancing**

**(a) Balancing principles.**

An imbalance arises whenever a shippers' deliveries at the entry point in any balancing period differ from the off-takes of the customers that the shipper serves at the exit point. This may occur either because demand is higher or lower than expected or because deliveries are higher or lower than expected, or both. Clear objective and efficient arrangement to address imbalances are required.

**(b) Imbalance charges**.

i. As specified in sub-regulation (6) of regulation 15, the imbalance charges payable by the shipper for any particular day shall be equal to the product of the cumulative imbalance quantity calculated as stipulated in sub-regulation (4) of that regulation and the imbalance rates specified in the access arrangement.

ii. As specified in sub-regulation (7) of regulation 15, the daily imbalance of gas quantities shall be settled between the shipper and the authorised entity every fortnight considering actual daily metered amounts for industrial, commercial and transport segments and assuming a mutually agreed daily consumption quantity of gas for domestic PNG segment; the methodology for the settlement shall be specified in the access arrangement. The reconciliation with actual metered quantity for the domestic PNG segment shall be as agreed in the access arrangement between the shipper and the authorised entity.

iii. Imbalance charge is calculated on the allocated quantity by applying the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 on the following formula.

Daily imbalance charge = cumulative imbalance quantity x imbalance rate

Wherein, cumulative imbalance quantity = cumulative imbalance at the end of a day as specified in sub-regulation (4) of regulation 15.

**(c) Imbalance rate.**

i. The negative imbalance rate.

The negative imbalance quantities in excess of percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 shall be calculated at the rate of one hundred twenty percent of the highest cost of gas in the authorised entities network on the day of imbalance occurrence:

Provided for the negative imbalance quantities up to the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 shall be set-off as per provisions of curing specified in sub-regulation (5) of regulation 15.

ii. The positive imbalance rate.

The Positive imbalance quantities in excess of percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 shall be calculated at the rate of one hundred per centof the lowest cost of gas in the authorised entities network on the day of imbalance occurrence:

Provided that the Positive imbalance quantities up to the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 shall be set-off as per provisions of curing specified in sub-regulation (5) of regulation 15.

**(e) Variance charges.**

The variance charges are the charges against the deviations in hourly delivery schedule rate of gas.

Allowable limits with respect to the variance and the corresponding charges shall be paid by the shipper to the authorised entity as per the mutually agreed terms and conditions and rates in access arrangement.

**9.0 Statutory levies**

All statutory levies incurred by the authorised entity during the provision of any service for shipper shall be borne by the shipper.

**10.0 Other charges**

**Authorised entity's shortfall charges**

The authorised entity shall pay adequate compensation to the shipper in case the authorised entity is unable to provide capacity up to eighty percent of the nominated quantity calculated on a monthly basis unless there is a planned maintenance, breakdown, system or network failure, third party damage, force majeure or any emergency or any other issues as specified in the access arrangement between the shipper and the authorised entity.

The compensation shall be agreed between the authorised entity and the shipper, subject to a minimum of rupees fifteen per MMBTU in respect of shortfall in capacity provided for PNG and rupees one per kilogram of shortfall in capacity provided for CNG.

**11.0 Invoicing and payment**

Authorised entity and the shipper shall mutually agree the billing cycle, billing date, credit period, set-off and adjustment and dispute provisions, consequences of delayed and non-payment as may be reasonable and in line with the prevalent industry practice.

**12.0 Communication**

**(a) Introduction**

A clear and well understood communication procedure is essential for parties to react in a timely manner especially in emergency situation in order to protect lives and properties and to minimise gas supply interruptions. This shall help to establish a good rapport and relationship as well as foster mutual understanding and co-operation between authorised entity and shippers in meeting goal of ensuring the safe, reliable and efficient operations of city or local gas distribution network.

Authorised entity and shipper shall establish the communication protocol that shall guide authorised entity and shipper during normal and emergency situation. This protocol shall be adhered to all times to ensure safe, reliable and efficient operations of the CGD network.

**(b) Gas management system**

Authorised entity may secure the establishment and operations of a web-based, gas management system (GMS) which provides for an electronic transfer of information between authorised entity and shipper.

Authorised entity and shipper may communicate with each other for purposes of the daily operations and monitoring of city or local gas distribution network by means of GMS.

The information provided by authorised entity through GMS shall be limited only to the relevant shipper's portfolio.

Authorised entity may provide shipper with access and use of the following—

i. Shipper's portfolio in GMS;

ii. Software installed in respect of the GMS; and

iii. Manuals or any materials provided by authorised entity in respect of the GMS.

**13.0 Curtailment**

**(a) Introduction**

Authorised entity may deem it necessary to curtail services in CGD network on a day in the event capacity to transport the total quantity of gas nominated by all shippers under the access arrangement is insufficient and such curtailment shall not have any financial implications on the authorised entity.

**(b) Curtailment for force majeure**

Authorised entity may curtail provision of services to shipper if—

A. An event of force majeure occurs; and

B. as a result of the event of force majeure, the scheduled capacity of CGD network is constrained so that authorised entity cannot transport the quantities of gas scheduled.

C. Curtailment for operational or safety reasons. Authorised entity may curtail deliveries to shipper if it considers, in its discretion, it is necessary doing so—

i. for maintenance, replacement, installation or repair of CGD network or associated facilities including entry point and exit point, interconnections, and district regulating stations (DPRS);

ii. because of damage to, or an outage on, a city or local gas distribution network segment or associated facility used to provide services to shipper giving rise to the need to curtail.

**(c) Curtailment of emergency**

Authorised entity may curtail deliveries to shipper if it considers, at its discretion, it is necessary to do so by reason of emergency, giving rise to the need to curtail.

The existence of an emergency shall be determined by authorised entity irrespective of the cause of emergency or whether authorised entity or any other person may have caused or contributed to the said emergency.

The procedure applicable in the event of emergency shall be set out in the access arrangement and communication protocol agreed between the parties.

**(d) Priority of services for curtailment**

Authorised entity may curtail the provision of services to shipper to meet its obligations to other shippers. Curtailment shall be in accordance with the provisions of the CGD Access Code and other notifies regulations.

## Schedule-II

(see regulation 5(1))

**Format for seeking capacity booking in city or local natural gas distribution network**

1. Name of entity:
2. Name of CGD Network:
3. Name of entry points and entry points capacities (to be furnished separately for each entry point):
   (i) In volume terms:
   (ii) In energy terms:
4. Name of exit points and exit points capacities (to be furnished separately for each exit point):
   (i) Volume Terms (for other than CNG Exit Point):
   (ii) Energy Terms (for other than CNG Exit Point):
   (iii) In Kg (For CNG Exit Points):
5. Technical parameters at entry points:
   (i) acceptable range of pressure:
   (ii) acceptable range of temperature:
   (iii) acceptable range of the CV:
   (iv) acceptable limits for other elements in natural gas as per Schedule-VI:
6. Capacity used for own requirement (including associates and affiliates) (in MMBTU):
7. Capacity already booked under common carrier or contract carrier: (including details like at sl. no. 3 and 4 above):
8. Capacity available in the CGD network to Shippers.

## Schedule-III

(see regulation 5(2) )

**Format for requesting capacity booking in city or local natural gas distribution network**

1. Name of shipper:
2. Name of CGD Network:
3. Name of entry points and entry points capacities requirement (in MMBTU) at each point:
4. Name of exit points and exit points capacities requirement (in MMBTU) at each exit point:
5. Name of CNG exit points and capacities requirement (in Kg) at each exit point:
6. Gas parameters at entry points (to be specified separately for each entry point):
   (i) range of pressure
   (ii) range of temperature
   (iii) range of CV
   (iv) estimated limits for other elements in natural gas like $CO_2$, $N_2$, $O_2$ etc.
7. Required gas parameters at exit points (to be specified separately for each exit point):
   (i) acceptable range of pressure
   (ii) acceptable range of temperature
   (iii) acceptable range of the CV
   (iv) acceptable limits for other elements in natural gas like CO2, N2, O2 etc.
8. Start date and end date for which access to capacity is required.

## Schedule-IV

(see regulation 5(8))

**Instructions for Website Based Open Access System for Applying for Booking of Capacity on Common Carrier or Contract Carrier Basis**

The process flow that would be followed on the authorised entity's website shall meet the following requirements for website based open access system for applying for booking of capacity on common carrier or contract carrier basis:

1. The authorised entity shall maintain an online portal on which applications for booking common carrier or contract carrier capacity may be submitted by the shipper.
2. The authorised entity's website shall allow booking of capacity by providing an easily accessible link in the form CGD capacity booking- Apply now- new shipper/ existing shipper.
3. In case of a new shipper, a link for submission of KYS documents along with an online application form for capacity booking shall be made available which shall be duly filled in with the prescribed details by the shipper and submitted. Following this, a unique application number shall be generated along with email confirmation of submission of application.
4. In case of an existing shipper seeking to book capacity, such shipper shall login with its registered ID and password and follow the link for new request for online requisition of CGD network capacity booking. Upon filling of the application form for new request with the requisite details, the existing shipper shall receive a unique application number along with an email confirmation of submission of application.
5. The authorised entity, upon receipt of application from a new shipper shall assess whether its CGD network is/ can be connected to the delivery point of the end customer. If the CGD network cannot be connected to the delivery point, the same has to be communicated to the shipper.
6. If the CGD network can be connected to the delivery point of the customer, the authorised entity shall verify whether adequate common carrier capacity is available on its network to accommodate the request of the shipper.
7. If there is adequate common carrier capacity available, requisitions shall be processed online in a transparent non-discriminatory manner and in cases where the booking for capacity received on a particular day is more than the available common carrier or contract carrier capacity, such common carrier or contract carrier capacity shall be allotted to the entities from whom booking has been received as per the Regulation 5 (4).
8. The terms and conditions for access shall be as per the Access Arrangements guidelines provided in Schedule-I. Once the capacity is allotted, the shipper shall be allowed to access the capacity that has been allotted to it in accordance with these Regulations.
9. If there is no available common carrier or contract carrier capacity, the application shall not be processed further and closed.
10. A system generated email shall be sent at all stages intimating the developments.

## Schedule-V

(see regulation 5(9))

**Format for maintaining records of applications for bookings and allocation of capacity in CGD network by an authorised entity**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Docket number allotted to application for booking of common carrier or contract carrier capacity in CGD network | |
| 2. | Date and time of receipt of application | |
| 3. | Mode of receipt of application and date of confirmation issued by the authorised entity | |
| 4. | Total capacity in CGD network at each of the entry and exit points | |
| 5. | Own capacity requirements (including associates and affiliates) of the entity laying, building, operating or expanding CGD network as declared by the authorised entity before the commencement of the financial year and communicated to the Board | |
| 6. | Common carrier or contract carrier capacity available in the CGD network (in MMBTU) at all entry/exit point(s) before the date of receipt of the CGD network application for booking of capacity | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | CGD network allocated capacity to the applicant (in MMBTU) over the time period at each of the entry/exit points in the CGD network along with details of the point of injection of compressed natural gas in case the capacity allocated is lower than the capacity requested, specific reasons for the same to be recorded | |
| 8. | Date of sending the notice of acceptance of applicant entity's request for booking of capacity (in case of part allocation of capacity, with a disclosure of the specific reasons) and the date of acknowledgement of receipt of the notice | |
| 9. | Date of entering into a contract for booking of capacity in the CGD network | |
| 10 | Common carrier or contract carrier capacity available in CGD after each capacity contracted | |
| 11. | Actual quantity delivered against the capacity contracted | |

**Schedule-VI**

(see regulation 7(1))

**Threshold Limit for Gas Parameters on City or Local Natural Gas Distribution Network**

| **Parameters** | **Limit** |
|---|---|
| Hydrocarbons dew pt (Degree Celsius, max.) | 0 |
| Water dew point (Degree Celsius, max ) | 0 |
| Hydrogen Sulphide (ppm by wt. max.) | 5 |
| Total Sulphur (ppm by wt. max.) | 10 |
| Carbon dioxide (mole % max.) | 6 |
| Total inerts (mole % ) | 8 |
| Temperature (Degree Celsius, max.) | 55 |
| Temperature (Degree Celsius, min.) | 10-20 |
| Oxygen (% mole vol. max.) | 0.2 |
| Wobbe Index for domestic consumers (based on MJ/SCM) | 39-53 |

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./380/2020]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM